



चिनार ध्वनि

चतुर्थ अंक-2023



कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
एवं

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर



स्वतंत्रता दिवस-2023 के कार्यक्रम की कुछ झलकियां



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

चिन्तार ध्वनि

वर्ष-2023

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

एवं

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर

की

संयुक्त हिंदी पत्रिका

चिनार ध्वनि

कार्यालयीन हिंदी गृह-पत्रिका

वर्ष-2023

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
एवं

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर का संयुक्त अंक

अंक	:	चतुर्थ अंक
प्रकाशक	:	कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर
मूल्य	:	राजभाषा के प्रति निष्ठा
मुख्य पृष्ठ	:	चिनार वृक्ष
अंतिम पृष्ठ	:	कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर का चित्र
संपर्क सूत्र	:	हिंदी प्रकोष्ठ, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/ लेखापरीक्षा) जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर

चिनार ध्वनि-परिवार

मुख्य संरक्षक

श्री के.पी. यादव

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा/लेखा एवं हकदारी)

परामर्शदाता

श्री रविंदर सिंह

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन) लेखा एवं हकदारी कार्यालय

श्रीमती इनाबत खालिक

उप महालेखाकार (प्रशासन) लेखापरीक्षा कार्यालय

संपादक-मण्डल

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

श्री रविंद्र पहलवान, वरिष्ठ लेखा अधिकारी

श्री गिराज प्रसाद मीना, हिंदी अधिकारी

श्री सतीश कुमार, वरिष्ठ अनुवादक

श्री राहुल, कनिष्ठ अनुवादक

श्री मनदीप, कनिष्ठ अनुवादक

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

श्री अब्दुल गनी हज़ाम, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

श्री अंकुश शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

श्री विक्रम सिंह, वरिष्ठ अनुवादक

श्री दीपक कुमार, कनिष्ठ अनुवादक

सुश्री सुमन कुमारी, कनिष्ठ अनुवादक

अस्वीकरण (डिसक्लेमर)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) एवं कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की संयुक्त पत्रिका 'चिनार ध्वनि' का मूल उद्देश्य राजभाषा का प्रचार-प्रसार करना है। 'चिनार ध्वनि' पत्रिका में प्रकाशित रचनाएं लेखकों के अपने निजी विचार हैं। यह आवश्यक नहीं है कि 'चिनार ध्वनि' पत्रिका के संपादक मंडल की उनसे सहमति हो। अतः पत्रिका में व्यक्त विचारों के लिए कार्यालय और 'चिनार ध्वनि' पत्रिका का संपादक मंडल किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है। रचनाओं की मौलिकता एवं उसमें प्रयुक्त शब्दों के लिए भी रचनाकार स्वयं उत्तरदायी हैं।

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	शीर्षक	रचनाकार (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पृष्ठ संख्या
1.	माननीय गृह मंत्री जी का हिंदी दिवस पर संदेश	-	5-6
2.	कार्यालय के उच्चाधिकारियों के संदेश	-	7-13
3.	संपादक मण्डल की कलम से	-	14
4.	आजादी का अमृत महोत्सव और हिंदी का विकास	विक्रम सिंह	16-17
5.	कश्मीर घाटी: अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य की धरा	विक्रम बादल	18-19
6.	जीवन	अनामिका मिश्रा	20-21
7.	आज के युग में आधुनिक विज्ञान और पारिवारिक संबंध	जावेद खान	22-23
8.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक: इतिहास, चुनौतियाँ और सुधार	जयराम सिंह	24-25
9.	कौटिल्य: भारतीय शासन कला का विवरण	आकांक्षा	26-30
10.	जूनी गुज्जरी और कश्मीर की महिला मिलिशिया (नागरिक सेना) की कहानी	एम.ए. पंपोरी	31-35
11.	रुठों को मनाया जाए	के.पी.यादव	37
12.	किरदार	संदीप वर्मा	38
13.	कुदरत	शेख शफाअत हुसैन	39
14.	माँ	अयाजदीन शाला	40
15.	पीपल के पेड़	समरेश बहादुर	41
16.	पत्नी की तान का महत्व	जितेंद्र अवाना	42
17.	वीर अभिमन्यु	जितेंद्र अवाना	43
18.	अनजान	रमेश कुमार कौल	44
19.	तम	रमन कटारिया	45
20.	अस्पष्ट औचित्य	रमन कटारिया	45
21.	निवृत्ति परिप्रेक्ष्य	रमन कटारिया	46
22.	पुरानी घड़ी	रमन कटारिया	46
23.	जीवन गाथा	राहुल यादव	47
24.	आभार	सतीश महानूरी	48
25.	ऐ जिंदगी तेरे लिए	रमेश कुमार कौल	49
26.	वक्त	सुमन कुमारी	50
27.	नया साल आया है	इजहार अहमद शाह	51
28.	हस्त निर्मित चित्र	रमन कटारिया	52
29.	गांदरबल में आयोजित पेंशन अदालत	-	53-54
30.	हिंदी पखवाड़ा 2023 के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं की सूची	-	55-56
31.	हिंदी पखवाड़ा 2023 की कुछ झलकियां	-	57-58
32.	प्रशासनिक शब्दावली	-	59-60
33.	हिंदी प्रश्नोत्तरी	के.पी. यादव	61-62
34.	राजभाषा नीति	-	63-69
35.	सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची	-	70-71
36.	कश्मीरी पर्यटन स्थलों की मनोरम झलकियां	-	71-72
37.	लेखापरीक्षा दिवस-2023 की कुछ झलकियां	अंतिम पृष्ठ का अंदर का भाग	

माननीय गृह मंत्री जी का संदेश

प्रिय देशवासियों

आप सब को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं।

भारत भाषिक विविधता का देश है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषिक विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का नाम 'हिंदी' है। हिंदी भाषा अपनी प्रवृत्ति से ही इतनी जनतांत्रिक रही है कि इसने भारतीय भाषाओं और भारतीय बोलियों के साथ-साथ कई वैश्विक भाषाओं को यथोचित सम्मान देते हुए उनकी शब्दावलियों, पदों, वाक्य विन्यासों और व्याकरणिक नियमों को आत्मसात किया है।

हिंदी भाषा ने स्वतंत्रता आंदोलन के मुश्किल दिनों में देश को एकता के सूत्र में बाँधने का अभूतपूर्व कार्य किया। अनेक भाषाओं और बोलियों में बँटे देश में ऐक्य भावना से पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाने में संवाद भाषा हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसलिए लोकमान्य तिलक हों, महात्मा गाँधी हों, लाला लाजपत राय हों, नेताजी सुभाषचंद्र बोस हों, राजगोपालाचारी हों, हिंदी के शुरुआती पैरवीकारों में बहुसंख्यक उन प्रदेशों के लोग थे, जिनकी मातृभाषाएँ हिंदी नहीं थीं।

किसी भी देश की मौलिक सोच और सृजनात्मक अभिव्यक्ति सही मायनों में सिर्फ उस देश की अपनी भाषा में ही की जा सकती है। प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने लिखा है कि, “निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति कौ मूल।” यानि कि, अपनी भाषा की उन्नति ही सभी प्रकार की उन्नति का मूल है। राष्ट्र की पहचान इस बात से भी होती है कि उसने अपनी भाषा को किस सीमा तक मजबूत, व्यापक एवं समृद्ध बनाया है। यही कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 343 द्वारा संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी और लिपि के रूप में देवनागरी को अपनाया।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय से वैश्विक मंचों तक यथोचित सम्मान मिला है। हमारी सभी भारतीय भाषाएँ और बोलियाँ हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। अपनी भाषा में सुनी हुई अवांछनीय बातें भी बुरी नहीं लगती। कवि विद्यापति की शब्दावली में कहूँ तो 'देसिल बयना सब जन मिट्ठा' यानि

देशी भाषा सभी जनों को मीठी लगती है। गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग निरंतर प्रयत्नशील है कि शहद समान मीठी भारतीय भाषाओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से अत्याधुनिक और वैज्ञानिक प्रयोग के अनुकूल उपयोगी बनाया जा सके।

सरकार और जनता के बीच भारतीय भाषाओं में संवाद स्थापित कर जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी तौर पर लागू किया जा सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जन-जन तक उनकी ही भाषा में उनके हित की बात पहुँचाकर आदर्श लोकतंत्र के निर्माण का सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है। राजभाषा विभाग ने इसी उद्देश्य से राजभाषा हिंदी के प्रयोग को सूचना प्रद्यौगिकी के माध्यम से सहज बनाने की दिशा में काम करते हुए स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली 'कंठस्थ' का निर्माण और विकास किया है। फिजी में संपन्न 'विश्व हिंदी सम्मेलन' में 'न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन' के साथ इसके नए वर्जन (कंठस्थ 2.0) के मोबाइल ऐप का भी लोकार्पण किया गया है।

राजभाषा विभाग की एक नई पहल 'हिंदी शब्द सिंधु' शब्दकोश का निर्माण है। इस शब्दकोश में संविधान की 8वीं अनुसूची में अधिसूचित भारतीय भाषाओं के शब्दों को शामिल कर इसे निरंतर समृद्ध किया जा रहा है। साथ ही, विभाग ने 'लीला हिंदी प्रवाह' मोबाइल ऐप भी तैयार किया है, जिसे अपनाकर विभिन्न भाषा-भाषी 14 भारतीय भाषाओं के माध्यम से अपनी-अपनी मातृभाषाओं से स्तरीय हिंदी निःशुल्क सीख सकते हैं।

भाषा परिवर्तन का सिद्धांत यह कहता है कि भाषा जटिलता से सरलता की ओर जाती है। मेरे विचार से हिंदी के सरल और सुस्पष्ट शब्दों को कार्यालयी कामकाज में प्रयोग में लाना चाहिए। टिप्पणी, पत्राचार, ई-मेल, विज्ञप्ति आदि के लिए आम बोलचाल के शब्दों व वाक्यों के प्रयोग से हिंदी के प्रयोग का चलन बढ़ेगा।

हमारे लिए हिंदी का प्रश्न सिर्फ एक भाषा का प्रश्न नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान व सांस्कृतिक गौरव का विषय है। मुझे विश्वास है कि राजभाषा विभाग के उपरोक्त प्रयासों से सभी मातृभाषाओं को आत्मसात करते हुए लोकसम्मत भाषा हिंदी विज्ञानसम्मत व तकनीकसम्मत होकर संपन्न राजभाषा के रूप में स्थापित होगी। पुनश्च, आप सब को हिंदी दिवस की अनंत शुभकामनायें।

नई दिल्ली

14 सितंबर, 2023

(अमित शाह)



के. पी. यादव

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा/लेखा एवं हकदारी)



मुझे यह जानकारी अति प्रसन्नता हो रही है कि कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) एवं कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) जम्मू व कश्मीर, श्रीनगर की संयुक्त हिंदी गृह पत्रिका "चिनार ध्वनि" के चतुर्थ वार्षिक अंक-2023 का प्रकाशन होने जा रहा है। राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में विभागीय पत्रिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं तथा विभिन्न कार्यालयों में होने वाली सांस्कृतिक गतिविधियों से अवगत कराती हैं।

राजभाषा हिंदी के प्रति समर्पित होते हुए हम सब का संवैधानिक दायित्व है कि हम अपना कार्यालयीन कार्य अधिक से अधिक हिंदी में करें, जिससे राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में वृद्धि हो सके। हिंदी एक समृद्ध एवं सशक्त भाषा है। इसमें कार्य करके हमें गर्व का अनुभव होना चाहिए। हमें सरल, सहज एवं सुगम हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए।

चिनार इस कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। यह उनकी सृजनशीलता की अद्भुत झांकी प्रस्तुत करती है।

पत्रिका के संपादकीय मंडल, रचनाकारों एवं पत्रिका के सफल प्रकाशन में भूमिका निभाने वाले सभी कर्मियों को मैं बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूँ।

के. पी. यादव

के. पी. यादव

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा/लेखा व हकदारी)

जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर



संदेश

भारत की राजभाषा हिंदी की प्रगति में अपना सांस्कृतिक सराहनीय एवं अमूल्य योगदान प्रदान करती हुई, हमारे कार्यालय की गृह पत्रिका 'चिनार ध्वनि' का नवीन अंक आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है। यह हम सभी के लिए हर्ष का विषय है।

हमारी यह पत्रिका अधिकारियों एवं कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा को प्रकाशित करती है तथा रोज के कार्यालयीन कार्यों से परे अपनी रचनाओं को पाठकों के समक्ष रखने का एक उचित माध्यम है। रचनाकारों की प्रतिभा का आदर करते हुए मैं इस पत्रिका द्वारा विभिन्न भाषा-भाषी लोगों को एक सूत्र में पिरोने एवं हिंदी को एक सरल संपर्क भाषा के रूप में स्थापित करने में सार्थक प्रयास की सराहना करता हूँ एवं रचनाकारों एवं संपादक मंडल को शुभकामनाएं देता हूँ जिनके सहयोग ने इस पत्रिका को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

जय हिंद ! जय हिंदी !

रविंदर सिंह

वरिष्ठ उप महालेखाकर (प्रशासन)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)

जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर



संदेश

मुझे खुशी है कि कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) एवं कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) जम्मू व कश्मीर, श्रीनगर की संयुक्त हिंदी गृह पत्रिका “चिनार ध्वनि” के चतुर्थ वार्षिक अंक-2023 का प्रकाशन हो रहा है। इस कार्यालय के अधिकतर अधिकारियों/कर्मचारियों का हिंदी भाषा का ज्ञान सीमित है, फिर भी पत्रिका प्रकाशन में उनका सहयोग निरंतर मिलता रहा है, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

हम सब का संवैधानिक दायित्व है कि हम अपना कार्यालयीन कार्य अधिक से अधिक हिंदी में करें, ताकि राजभाषा हिंदी के प्रचार एवं प्रसार को बढ़ाया जा सके। हमें सरल, सहज एवं सुगम हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए।

पत्रिका के संपादकीय मंडल एवं रचनाकारों के प्रयासों की सराहना करते हुए मैं पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।

शुभकामनाओं सहित,

इनाबत खालिक

उप महालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर



संदेश

मुझे अपार हर्ष है कि हमारे कार्यालय की पत्रिका 'चिनार ध्वनि' के नवीन अंक का प्रकाशन होने जा रहा है। विभागीय हिंदी पत्रिकाओं को प्रकाशित करने का मूल उद्देश्य राजभाषा के प्रचार-प्रसार को प्रेरणा एवं संबल प्रदान करना है वहीं दूसरी ओर कार्यालयीन कार्यों में सरल एवं सहज हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना भी है। विभागीय पत्रिकाएं कार्यालयीन गतिविधियों व राज्य की संस्कृति का सुंदर चित्रण भी करती हैं।

मैं समस्त रचनाकारों एवं संपादक मंडल के सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूँ। साथ ही यह आशा करता हूँ कि वे अपनी बहुमुखी प्रतिभा से इसी प्रकार कार्यालय को गौरवांविष्ट करते रहेंगे।

पवन कुमार राठी

उप महालेखाकार (पेंशन)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)

जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर



संदेश

मुझे यह जानकारी अत्यंत हर्ष हो रहा है कि कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) एवं कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) जम्मू व कश्मीर, श्रीनगर की संयुक्त हिंदी गृह पत्रिका "चिनार ध्वनि" के चतुर्थ वार्षिक अंक-2023 का प्रकाशन होने जा रहा है। हिंदी में साहित्य लेखन के अलावा हमारे कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारी अपना कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने का प्रयास कर रहे हैं।

विश्व पटल पर हिंदी को एक नई पहचान मिल रही है। हिंदी देश के कोने-कोने तक पहुंचकर अपनी सरलता एवं सहजता का बोध करा रही है। कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा स्वरचित रचनाएं राजभाषा हिंदी के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है।

पत्रिका के संपादक मंडल, रचनाकारों आदि को मैं बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

(जगबीर सिंह)

उप महालेखाकार (एएमजी-11)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

जम्मू एवं कश्मीर,

शाखा कार्यालय जम्मू



संदेश

मेरे लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) एवं कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) जम्मू व कश्मीर, श्रीनगर की संयुक्त हिंदी गृह पत्रिका "चिनार ध्वनि" के चतुर्थ वार्षिक अंक-2023 का प्रकाशन होने जा रहा है। विभागीय गतिविधियों की विभिन्न जानकारीयां भी इन्हीं पत्रिकाओं के माध्यम से प्राप्त होती है।

हिंदी हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक होने के साथ-साथ राजभाषा भी है, इसलिए हम दोनों भूमिकाओं के प्रति उत्तरदायी हैं। हिंदी न केवल आम आदमी की भाषा है बल्कि विज्ञान, उद्योग एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही है। आज हर क्षेत्र में एक भाषा के रूप में हिंदी की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

पत्रिका के संपादक मंडल सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी कर्मियों को मैं बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

(योगेन्द्र कुमार)

उप महालेखाकार (एएमजी-III)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर



संदेश

हिंदी पत्रिका 'चिनार ध्वनि' के चतुर्थ अंक के प्रकाशन की मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इसके लिए मैं 'चिनार ध्वनि' परिवार के सभी संपादन सहयोगियों, रचनाकारों एवं पाठकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी ने पत्रिका के सफल विमोचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

विभागीय पत्रिका राजभाषा हिंदी के सरल एवं सहज प्रयोग में विशेष रूप से योगदान देती है तथा साथ ही रचनात्मक प्रतिभाओं को उजागर करने का एक श्रेष्ठ माध्यम भी प्रदान करती है।

मुझे विश्वास है कि राजभाषा हिंदी की प्रगति एवं प्रचार-प्रसार में "चिनार ध्वनि" अपने दायित्व का निर्वहन पूर्णतः करती रहेगी।

मुखदर्शन सिंह
उप महालेखाकर (लेखा)
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)
जम्मू एवं कश्मीर,
शाखा कार्यालय जम्मू

संपादक मण्डल की कलम से

प्रिय पाठक.....

हमारे कार्यालय की गृह पत्रिका 'चिनार ध्वनि' के नवीन अंक को आप सब के समक्ष रखते हुए हमें अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। इस अंक को प्रकाशन तक पहुँचाने में हमें अपने कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग मिला है जिसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि यह सहयोग हमें आगे भी इसी प्रकार मिलता रहेगा।

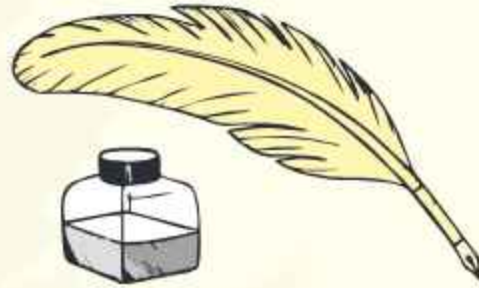
अपने इस नवीन अंक में हमने जम्मू एवं कश्मीर राज्य की साहित्यिक व सांस्कृतिक सुंदरता को एक सूत्र में पिरोकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हमारे कार्यालय में अधिकतर गैर-हिंदी भाषी होने के बाद भी उनकी हिंदी के प्रति निष्ठा उनके द्वारा सृजित रचनाओं के माध्यम से पत्रिका में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है।

चिनार के वृक्ष की घनी छाया की ही भांति हमारी यह पत्रिका भी अनेक संस्कृतियों एवं अनेक राज्यों से आए हुए कार्मिकों को राजभाषा एवं साहित्यिक हिंदी के प्रयोग को संबल प्रदान करती है। चिनार ध्वनि का यह प्रयास है कि हमारी पत्रिका में जम्मू एवं कश्मीर राज्य की झलकियों के साथ- साथ कार्यालयीन गतिविधियों की जानकारी भी आप सभी पाठकों को प्राप्त हो।

अंत में सभी रचनाकारों, पत्रिका के सभी सदस्यों को 'चिनार ध्वनि' के सफल प्रकाशन के लिए शुभकामनाएं देते हुए पाठकों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी अपने बहुमूल्य विचार एवं सुझावों से हमें अवश्य अवगत कराएं।

'चिनार ध्वनि' का यह नवीन अंक हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सभी को सादर प्रेषित है।

संपादक मण्डल



लेख

आजादी का अमृत महोत्सव और हिंदी का विकास



-विक्रम सिंह
वरिष्ठ अनुवादक

भारतवर्ष को स्वतंत्र हुए 76 वर्ष हो चुके हैं। अतः स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ अर्थात् आजादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत की आजादी के 75 वर्ष और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। जब भारतवर्ष अपनी आजादी की ऊर्जा का, नए संकल्पों का, आत्मनिर्भरता का अमृत महोत्सव मना रहा है तो ऐसे में भारतीय संस्कृति की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को सुरक्षित रखने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए राष्ट्र भाषा बनाए जाने पर भी संकल्पित होकर विचार करना अनिवार्यता होनी चाहिए।

स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने वाला भारत राष्ट्र दिनोंदिन प्रगति के नित नए आयाम हासिल कर रहा है जिसका राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रप्रतीक है। किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति के विकास में उसकी भाषा का विशेष योगदान होता है। भाषा और संस्कृति का अटूट संबंध होता है, क्योंकि भाषा संस्कृति की संवाहक होती है। प्रत्येक भाषा का एक इतिहास होता है जो उस देश एवं देशवासियों के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास से जुड़ा होता है। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग एक हजार वर्ष पुराना माना जाता है परंतु हिंदी में सर्वव्यापकता, प्रचुर साहित्य रचना, वैज्ञानिकता और सभी प्रकार के भावों को प्रकट करने के सामर्थ्य आदि गुणों के कारण ही 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। साथ ही संविधान में राजभाषा के संबंध में अनुच्छेद 343 से 351 तक की व्यवस्था की गई है।

भारत की आजादी के अमृत महोत्सव का उद्देश्य इंडिया@2047 के लिए विजन तैयार करना है। जिसका आधार सूचना, तकनीकी एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों के साथ विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सामंजस्य को भी स्थापित करना है। हिंदी राष्ट्रभाषा एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषा बनने के योग्य है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के इस युग में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए हिंदी में चिंतन आवश्यक है और इसमें सबसे बड़ी बाधा भाषिक स्वाभिमान की कमी है। देश में एकता व अखंडता कायम रहे इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए बुद्धिजीवी, समाज सुधारक एवं स्वतंत्रता सेनानी गत शताब्दियों से संघर्षरत रहे हैं। राजा राम

मोहन राय, बालगंगाधर तिलक, पंडित मदनमोहन मालवीय, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन आदि का नाम अग्रणीय है।

हिंदी के विकास में कबीर, प्रेमचंद, सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एवं सुमित्रानंदन पंत का काफी योगदान रहा है। आज भी कई लेखक हिंदी के विकास में ईमानदारी से जुटे हुए हैं परंतु हम भारतीय ही हिंदी में बोलने में शर्म करते हैं। जबकि अंग्रेजी बोलने में हमें गर्व महसूस होता है। हिंदी राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। यह कोई क्षेत्रीय या साधारण भाषा नहीं है। यह एक विकसित और समृद्ध भाषा है। हिंदी का अपना व्यापक ज्ञान भंडार है। पश्चिम में कई देश भारतीय संस्कृति और भाषा को गर्व के साथ अपना रहे हैं। हिंदी राष्ट्रीय अस्मिता और अस्तित्व को पारदर्शी तौर पर विश्व के समक्ष सफलतापूर्वक रख रही है।

वर्तमान समय में हिंदी विश्व के कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। विश्व में हिंदी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में तीसरे स्थान पर है। इतना ही नहीं आज हिंदी सूचना प्रौद्योगिकी की भाषा बन गई है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, कंप्यूटर, इंटरनेट, आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा सोशल मीडिया आदि में हिंदी ने अपना वर्चस्व कायम किया है। नई प्रौद्योगिकी में हिंदी में अभिव्यक्ति की सभी सुविधाएं फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ब्लॉग आदि उपलब्ध हैं। हिंदी के ई-लर्निंग अनुवाद, ऑनलाइन ई-महाशब्दकोश, कंठस्थ, हिंदी स्कैनर, ई-पत्रिका, पुस्तकालय, हिंदी में बोलकर टाइप करना आदि हिंदी के नवीनतम टूल हैं। वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में डिजिटल इंडिया द्वारा हिंदी को अफ्रीका, मध्य-पूर्व, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में निरंतर पहुंचाया जा रहा है। यूनिकोड तकनीक ने इस कार्य को और आसान किया है, जिसके द्वारा टाइप करें रोमन अंग्रेजी में और प्राप्त करें देवनागरी हिंदी में।

हिंदी में ई-प्रौद्योगिकी के अमूल्य योगदान ने इसकी सार्थकता बढ़ा दी है। जिसने हिंदी को अंतरराष्ट्रीय गौरव प्रदान किया है। विश्व के विभिन्न देशों का भारतीय सिनेमा एवं हिंदी फिल्मों के प्रति लगाव भी उल्लेखनीय है। महात्मा गांधी जी के अनुसार- "हिंदी का प्रश्न मेरे लिए देश की आजादी का प्रश्न है, हिंदी भाषा केवल राजभाषा नहीं है वह समूचे देश की संस्कृति के रूप में पल्लवित और पुष्पित भाषा है।" हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत सिर्फ आजादी का अमृत महोत्सव ही नहीं माना रहा है बल्कि हिंदी का भी अमृत महोत्सव मना रहा है। इन 75 से अधिक वर्षों में हिंदी ने तकनीकी सूचना एवं डिजिटलीकरण के क्षेत्र में जो स्थान प्राप्त किया है वह सचमुच सराहनीय है।

राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है।

-महात्मा गांधी

कश्मीर घाटी : अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य की धरा



-विक्रम बादल
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में विराजमान एक ब्रह्माण्डीय सौंदर्य स्थल है, कश्मीर घाटी। इसका नाम ही काफी है कि यहाँ की सुंदरता कितनी अद्वितीय और मनमोहक है। यह स्थल अपने प्राकृतिक सौंदर्य, आकर्षक झीलों, भव्य पर्वतों और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर घाटी की प्राकृतिक सौंदर्यता को शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती की मनमोहक आभा, हरित घाटियाँ और बाग-बगीचों में फूलों की खिलती महकती खुशबू, इन सबने कश्मीर को अद्वितीय बना दिया है। पहाड़ों की विविधता और वन्यजीवों को बर्बादी के खतरे से बचाने के लिए यहाँ के राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों ने भी अपनी भूमिका निभाई है।

इस स्थल का मुख्य आकर्षण है इसकी झीलें, जिनके कारण इसे 'पृथ्वी की आंख' कहा गया है। डल झील, नागिन झील, बेरीनाग झील आदि यहाँ की प्रमुख झीलें हैं जो इसके प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ावा देती हैं। डल झील के पानी की सतह पर शिकारा की यात्रा एक अनुपम अनुभव होता है, जिसमें आप अपने आप को जैसे आसमान में उड़ते हुए महसूस करते हैं। यहाँ की झीलों का पानी स्पष्ट नीला होता है, जो वातावरण को शांतिपूर्णता की अनुभूति कराता है। कश्मीर घाटी की अद्वितीयता इसके पर्वतों की चोटियों में भी महसूस होती है। हिमालय के शिखरों ने इसके सौंदर्य को एक नए दर्जे तक बढ़ा दिया है। विशेषकर सर्दियों में बर्फ की चादर से ढकी चोटियाँ दृश्य की सुंदरता को दुगुना कर देती हैं।

कश्मीर घाटी की सुंदरता में बाग और बगीचों का महत्वपूर्ण योगदान है। शालीमार बाग, निशात बाग, चश्मे-ए-शाही आदि यहाँ के प्रमुख बगीचे हैं जिनमें फूलों की खिलती महकती खुशबू आत्मा को शांति और सुकून की अनुभूति कराती है। बागों की आकृति और वन्यजीवों के साथ उनकी साझी जगह भी यहाँ की सुंदरता को बढ़ाती है। कश्मीर घाटी की सुंदरता सिर्फ प्राकृतिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर भी है जो उसे दुनिया भर में प्रसिद्ध करती है। यहाँ के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर एक विशेष वास्तुकला का प्रतीक हैं। इन्हें देखकर लगता है कि समय की इस धारा में भी कश्मीर ने अपनी सांस्कृतिक निरन्तरता को बनाए रखा है।

कश्मीर घाटी में स्थित पुरातत्व खुदाई स्थल, शिकारा की यात्रा, बादशाही आदि के लिए भी प्रसिद्ध हैं, जो जीवन के एक अद्वितीय अनुभव का स्रोत भी हो सकते हैं। कश्मीर घाटी का सौंदर्य इसकी अद्वितीयता में विद्यमान है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, विविधता और सांस्कृतिक धरोहर ने इसे स्वर्ग के समान बना दिया है। कश्मीर घाटी का यात्रीगण के दिलों में विशेष स्थान है और यहाँ की सुंदरता की कहानी अनगिनत दिलों को गहराई से प्रभावित करती है।



कश्मीर की सर्दियों में जिला अनंतनाग की बेताब घाटी का मनोरम दृश्य

-सौजन्य इंटरनेट

मैं दुनिया की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूँ, पर मेरे देश में हिंदी की इज्जत न हो, ये मैं सह नहीं सकता।

-आचार्य विनोबा भावे

जीवन



-अनामिका मिश्रा

आशुलिपिक (लेखापरीक्षा)

जीवन क्या है? इसका क्या अर्थ है? इसका क्या मर्म है? हम इसे क्यों जी रहे हैं? जीवन जीने का मकसद क्या है? ऐसे सवाल युगों-युगों से पूछे जा रहे हैं ? लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग होता है। वास्तव में हम सभी को जीवन के स्वरूप को जरूर समझना चाहिए। इससे जुड़े तथ्यों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और अपने इस दिये हुए जीवन में अपने साथ-साथ दूसरों के लिए भी ऐसे कार्य करते रहने चाहिए जो उनके जीवन में परिवर्तन और सुगमता ला सके। कभी-कभी छोटे हितों से दूसरों के जीवन में बहुत परिवर्तन आता है और किए गए इन हितों से आप खुद में बड़ा बदलाव पाते हैं। ये छोटे-छोटे हित आपको अंदर से आत्मविश्वासी और ईमानदार बनाते हैं।

मानव जीवन ईश्वरीय सत्ता की एक बहुमूल्य धरोहर है जिसे उसकी सत्पात्रता पर विश्वास करके ही सौंपा गया है। मानव जीवन के अलावा अन्य जीवधारियों की तुलना में यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। बल्कि ऊँचे अनुदान के लिए यह एक प्रयोग मात्र है। मानव जीवन का एक कर्तव्य है कि वह प्रकृति का ध्यान रखे, अपने आस-पास के वातावरण को साफ रखे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएँ और पानी का संरक्षण करें क्योंकि यह इस समय की माँग है। आज देखा जा सकता है कि किस तरह जलवायु परिवर्तन सबको नुकसान पहुँचा रहा है।

मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि वह सृष्टि के उत्तराधिकारी होने के नाते अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों को पूरी तन्मयता से निभाए और जहाँ तक हो सके इसे मानव जीवन परिवर्तन में और सहज कार्यों में लगा सके। यदि पेट प्रयोजन और लोभ मोह तक उसकी गतिविधियाँ सीमित रहें तो उसे नर-पुरुष के अलावा और क्या कहा जा सकता है। अगर लोभ-मोह के साथ अहंकार और ईर्ष्या भी जुड़ जाए तो बात और भी बिगड़ जाती है अर्थात् मनुष्य स्वयं को सर्वश्रेष्ठ और दूसरों को हीन समझने लगता है ऐसे में हमारी समय और ऊर्जा दोनों नष्ट होती है। इस प्रकार मनुष्य जीवन जहाँ सौभाग्य का प्रतीक होना चाहिए था, वहाँ वह दुर्भाग्य का कारण बन जाता है।

ईश्वर का दिया हुआ अनमोल उपहार है जीवन। बस, इस कीमती उपहार के मूल्य को समझने की जरूरत है। यदि हम अपनी जीवन ऊर्जा को सांसारिक वस्तुओं एवं भोग विलास की प्राप्ति में लगाना शुरू कर देते हैं तो इस ऊर्जा से वैभव एवं भोग का अंबार खड़ा किया तो जा सकता है पर इसके परिणामस्वरूप जीव को जो हानि होती है, उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता है। अज्ञानतावश मनुष्य ऐसी गलती करता रहता है। सांसारिक ऐश्वर्य को ही सर्वोपरि मानकर उनमें लिप्त रहता है, अन्ततः उसकी जीवन ऊर्जा इन्हीं में नष्ट हो जाती है। शनैः शनैः जीवन खत्म हो जाता है। जीवन जीने के लिए शरीर एक माध्यम के रूप में इसलिए मिला है कि इस शरीर रूपी रथ में आत्मारूपी चालक अपनी मंजिल तक पहुंच सके ।



-सौजन्य इंटरनेट

वही भाषा जीवित और जागृत रह सकती है, जो जनता का ठीकठाक- प्रतिनिधित्व कर सके और हिंदी इसमें समर्थ है।

-पीर मुहम्मद मूनिस

आज के युग में आधुनिक विज्ञान और पारिवारिक संबंध



- जावेद खान
सहायक पर्यवेक्षक

आज की तेजी से तरक्की करती हुई दुनिया में आधुनिक विज्ञान ने पारिवारिक ताल्लुकात सहित इंसानी जिंदगी के हर पहलू को बदल दिया है। तकनीकी विकास, दूरसंचार और सेहत की देखभाल में होने वाली पेशफ्त में परिवारों के एक दूसरे से बातचीत करने और मदद करने के तरीके को नई शक्ल दी है और हमारी जिंदगी में बेशुमार फायदे लाए हैं। वहीं इससे मजबूत पारिवारिक बंधन को बरकरार रखने के लिए नई चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं। दूरसंचार, आधुनिक विज्ञान की तरफ से लाई गई सबसे अहम तब्दीलियों में से एक है और इसके कई लाभ हैं। स्मार्ट फोन, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप और तत्कालीन संदेशन (ई-मेल, एसएमएस आदि) की उपस्थिति ने हमारी भौगोलिक दूरी के फासले को खत्म कर दिया है जिससे कि परिवार के अफराद इनके शारीरिक मुकाम से हटकर जुड़े रहने के काबिल हो गए हैं। वीडियो कॉल, ग्रुप चैट्स वगैरह ने परिवारों के लिए राबते में रहना और अपने तजुर्बे को आदान-प्रदान करने को आसान कर दिया है, मगर परिवार के लोगों को एक-दूसरे से दूर कर दिया है। घर में बैठे हुए लोग कभी-कभी अपने ईलैक्ट्रॉनिक गैजेट्स (स्मार्ट फोन, लैपटॉप इत्यादि) में इस तरह व्यस्त होते हैं कि एक-दूसरे के होने का एहसास तक नहीं होता। आधुनिक विज्ञान जो लगातार राबता फरहम करती है वो दो-धारी तलवार भी हो सकती है। तकनीकी विकास की मौजूदगी ने परिवारों के अंदर पारिवारिक बातचीत और एक दूसरे के मिलाप को एक तरह से खत्म कर दिया है क्योंकि हर व्यक्ति अपने स्तर पर व्यस्त हो जाता है और आपस में बातचीत के लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं।

सार्थक व्यक्तिगत संबंध को बरकरार रखने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच सामजंस्य कायम करना बहुत जरूरी है वरना इससे ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं और एक परिवार के तौर पर गुजारे जाने वाले वक्त को कम कर सकते हैं। सेहत की देखभाल में आधुनिक विज्ञान (यूट्यूब) ने बिला-सुबा पारिवारिक जिंदगी के मियार को बेहतर बना दिया है। चिकित्सा में हुए विकास ने ईलाज के नए रास्ते खोल दिए हैं और मुख्तलिफ बीमारियों के बढ़ने को कम कर दिया है। इंटरनेट के जरिए प्राप्त जानकारी ने परिवारों को सेहत की देखभाल के बारे में सही फैसले करने और ऐहतियाती तदाबीर लेने का इख्तियार दिया है। ताहम सेहत की देखभाल में तकनीकी

विकास की निर्भरता पर अभी पूरी तरह से निर्भर नहीं रह सकते। वर्चुअल डॉक्टर के दौर और ऑनलाइन मेडिकल एडवाइस में रिवाइती और निजी राय में इंसानी राबते की कमी हो सकती है।

आधुनिक विज्ञान ने तालीम में इंकलाब पैदा कर कर दिया है। जिससे परिवार की तरक्की के लिए नए मौके जैसे ऑनलाइन कोर्सेस, ई-ट्रेनिंग प्लेटफार्म और तालीमी एप ने ईल्म हासिल करने के तरीके को बदल दिया है। लोग मिलकर सीख सकते हैं। विचारों का आदान-प्रदान कर सकते हैं और साझा तालीमी गतिविधि में लिप्त हो सकते हैं। मगर आधुनिक विज्ञान ने तालीम की आधुनिकीकरण से अनजाने तौर पर पारिवारिक वक्त के टुकड़े करने में भी पूरी भूमिका निभाई है। बड़ों और बच्चों दोनों के बढ़ते हुए स्क्रीन टाईम ने उनके आपसी समय को कम कर दिया है। स्क्रीन टाइम कम करके परिवार के बाकी अफराद की खुशी और गम में शामिल होना वक्त की अहम जरूरत है वरना आने वाला वक्त आपसी रिश्तों में एक ऐसा गैप पैदा कर सकता है जिसको भरना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। जहाँ आधुनिक विज्ञान हमारी जिंदगी को आसान तो बना रहा है लेकिन मुकम्मल किसी भी सूरत में नहीं कर सकता। आधुनिक विज्ञान ने आज दुनिया में पारिवारिक ताल्लुकात में गहरी तब्दीलियां लाई हैं।

दूरसंचार ने आपस में जुड़े रहना आसान तो बना दिया है लेकिन उसे लाताल्लुकी को रोकने के लिए जेहनसाजी की जरूरत और ध्यानपूर्वक मार्गदर्शन का मुतालबा भी करती है। ताकि ये यकीनी बनाया जा सके जिससे कि पारिवारिक रिश्ते मज़बूत रहें। जहाँ आधुनिक विज्ञान की तरक्की से इंकार तो नहीं किया जा सकता वहां ये बात भी सच है कि वैज्ञानिक अभी तक ऐसी कोई भी सॉफ्टवेयर और एप इज़ाद करने में कामयाब नहीं हुए जो इंसान के अंदर दूसरे के लिए प्यार, हमददी, बड़ों की इज्जत, रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों की अच्छी कामनाओं का जज्बा पैदा कर सके। ये सिर्फ कुदरत का एक अनमोल तोहफा है जिसके लिए न तो आपको कोई बिल या रिचार्ज देना पड़ता है न ही इससे आप की बैटरी पर कोई असर पड़ता है। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है:-

फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना।

मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा।

सार्थक व्यक्तिगत संबंध को बरकरार रखने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच सामजंस्य कायम करना बहुत जरूरी है। इससे ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं और एक परिवार के तौर पर गुज़ारे जाने वाले वक्त को कम कर सकते हैं।

**भाषा की सरलता- सहजता और शालीनता अभिव्यक्ति को सार्थकता प्रदान करती है।
हिंदी ने इन पहलुओं को खूबसूरती से समाहित किया है।**

-नरेंद्र मोदी (प्रधानमंत्री)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक: इतिहास, चुनौतियाँ और सुधार



-जयराम सिंह

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जवाबदेही और शासन में शक्ति का संतुलन बहुत जरूरी है। इसी जवाबदेही और संतुलन को बनाए रखने के लिए संविधान में कई संस्थानों का प्रावधान किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय संभवतः इन संस्थानों में सबसे महत्वपूर्ण है। डॉ. भीमराव अंबेडकर के शब्दों में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है और सार्वजनिक वित्त का संरक्षक भी है। वह संसद की लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक के रूप में कार्य करते हैं।

इतिहास

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का इतिहास स्वतंत्रता से पहले का है। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत एडवर्ड डूमंड को भारत का प्रथम नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया। बाद में 1919 के मौण्टफोर्ड सुधारों द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को स्वायत्तता प्रदान की गई और भारत सरकार अधिनियम 1935 से इसे और अधिक सशक्त किया गया। यही व्यवस्था स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही और श्री नरहरी राव को स्वतंत्र भारत का प्रथम नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक नियुक्त किया गया। कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें अधिनियम 1971 के द्वारा इसे पूर्णरूप से विनियमित कर दिया गया। संविधान की अवधारणा के आठ साल बाद, 1958 में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का अधिकार क्षेत्र जम्मू और कश्मीर क्षेत्र तक बढ़ा दिया गया।

चुनौतियाँ और सुधार

प्रौद्योगिकी के वर्तमान समय में ऑडिट जटिल होते जा रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के रूपों का पता लगाना बेहद मुश्किल है। भारत जैसे लोकतंत्र की संसदीय व्यवस्था में

इतना महत्व होने के बावजूद भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की संस्था को इस प्राधिकरण के महत्व के बारे में आम जनता की कम जागरूकता के कारण बार-बार नुकसान उठाना पड़ा है।

बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए कुछ और आधारभूत सुधारों और कदम उठाने की आवश्यकता है जैसे कि आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को एक महीने के भीतर जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, उसी तरह लेखापरीक्षकों को निर्धारित दिनों के भीतर प्राथमिकता के आधार पर रिकॉर्ड तक पहुँच प्रदान की जानी चाहिए, ऐसा न करने पर विभाग प्रमुखों को उन परिस्थितियों की व्याख्या करनी होगी जिनके कारण देरी हुई। शासन में बदलाव के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अधिनियम, 1971 में संशोधन किया जाना चाहिए।

बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने भी विशाल डेटा प्रबंधन नीति 2016, ओआईओएस और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन जैसे कई प्रभावी कदम उठाए हैं। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का सफलतापूर्वक ऑडिट किया जिसमें विविध और जटिल प्रक्रियाएँ शामिल हैं, यह भारतीय नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की विश्वसनीयता को दर्शाता है।

तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अपने हितधारकों और सार्वजनिक वित्त की सुरक्षा में प्रखर प्रहरी की भांति हमेशा खड़ा है।



भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली

-सौजन्य इंटरनेट

कौटिल्य : भारतीय शासन कला का विवरण



-आकांक्षा

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

कौटिल्य 317-293 ईसा पूर्व के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में मंत्री थे। वह उस समय के सबसे चतुर मंत्रियों में से एक माने जाते थे और उन्होंने राज्य, युद्ध, सामाजिक संरचना, कूटनीति, राजनीति और राज्य शिल्प आदि पर अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में स्पष्ट रूप से अपने विचारों का वर्णन किया है। मौर्य साम्राज्य तुलनात्मक रूप से ब्रिटिश भारत से बड़ा था, जो कि हिंद महासागर से हिमालय तक और पश्चिम में ईरान तक विस्तृत था। सिकंदर के भारत से जाने के बाद, यह भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य था और कौटिल्य इसके मंत्री थे तथा राजा के मुख्य सलाहकार भी थे। उनके अनुसार हमें राजनेता की तुलना चार आयामों के ढाँचे पर करनी चाहिए: युद्ध और शांति, मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक न्याय, और विश्व व्यवस्था। कौटिल्य की इन चारों पहलुओं पर एक मजबूत राय थी। कौटिल्य की रचना मुख्य रूप से राजनीतिक यथार्थवाद की एक पुस्तक है जहाँ राज्य सर्वोपरि है और राजा अपने राज्य को बनाए रखने के लिए उनकी पुस्तक का अनुसरण करके अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। कौटिल्य का काम इतना गहरा है, यथार्थवाद में निहित है कि वह खूनी और क्रूर साधनों का वर्णन करने तक जाता है, जिसे राजा को सत्ता में रहने के लिए अपनाना चाहिए। यह एक कारण हो सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र अशोक, जिनके मुख्य सलाहकार कौटिल्य थे, ने बाद में हिंसा और युद्ध का त्याग कर दिया और फलस्वरूप धर्म व नैतिकता का मार्ग अपनाया।

न्याय पर कौटिल्य

कौटिल्य का मानना था कि राज्य की समृद्धि के लिए राज्य को आंतरिक विरोधों से मुक्त होना चाहिए और राज्य पर राजा का नियंत्रण होना चाहिए। इस आंतरिक शांति को बनाए रखने के लिए वह न्यायसंगत और यथार्थवादी कानून के शासन में विश्वास

करते थे। उनकी राज्य की परिभाषा में राज्य के पास धन और शक्ति को महत्व प्रदान है, इसलिए उन्होंने संपत्ति के अधिकार और धन की सुरक्षा को अपने न्यायशास्त्र के महत्वपूर्ण विषयों में से एक के रूप में रखा। वास्तव में उन्होंने इस बात की वकालत की, कि कोई व्यक्ति जुर्माने का भुगतान करके शारीरिक दंड से छुटकारा पा सकता है। कौटिल्य मानव अधिकारों को भी बहुत महत्व देते हैं कि किस प्रकार आक्रमणकारी शासक और उसके मंत्रियों के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। यह आपराधिक न्याय और युद्ध न्याय की गहरी समझ दिखाता है। हैरानी की बात है कि कौटिल्य जैसे कठोर और यथार्थवादी व्यक्ति के लिए, कि वह उन लोगों के प्रति दया दिखाते हैं जो एक युद्ध में हार गए और उनके प्रति न्याय और मानवता की सिफारिश करते हैं। वह तर्क देते हैं कि पराजित राजा के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया चाहिए और उन्हें एक सहयोगी बनाया जाना चाहिए। वह सोचते हैं कि पराजित राजा को सलाह देने वाले प्रमुख लोगों को एक मूक युद्ध के माध्यम से समाप्त किया जाना चाहिए। कौटिल्य का मानना है कि कानून राजा के हाथ में होना चाहिए और जो दोषी हैं उन्हें सजा दी जानी चाहिए ताकि राजा सामाजिक अशांति और दुख से अपनी व राज्य की रक्षा कर सके। उनका मानना है कि सजा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने का एक साधन है और अपराध को रोकने के लिए इसकी आवश्यकता है। कौटिल्य एक सुधारक भी थे, जहाँ उनका मानना था कि दंड से व्यक्ति में सुधार हो सकता है और परिणामस्वरूप एक समाज में सामाजिक संरचना के प्रति उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्हें लगता है ब्राह्मण को केवल उसे निर्वासित करके कम दंडित करने की आवश्यकता है न कि उसे प्रताड़ित करने की। यह असमान सामाजिक न्याय अपने आप में अन्याय एवं उनका विश्वास भी अन्याय था। वह दंडनीति को बहुत महत्व देते थे जिसमें शामिल हैं संपत्ति की रक्षा करना, संपत्ति अर्जित करना, उसे बढ़ाना और उसका वितरण करना। वो सोचते हैं, न्याय संप्रभुता का एक महत्वपूर्ण घटक है और इसे राज्य द्वारा संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है और अंतिम जिम्मेदारी राजा की होती है। अपराध और न्याय पर कौटिल्य का विचार बहुत विस्तृत है और अपराधों के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। वह अपराध के आधार पर अलग-अलग प्रकार के दंडों की वकालत करते हैं कि सार्वजनिक जीवन में किए गए अपराध हैं, नागरिक अपराध, यौन अपराध, धार्मिक अपराध, आदि हैं। इससे पता चलता है कि अपराध और समाज की संरचना दोनों के आधार पर उनके पास कानून के शासन को अनुकूलित करने के लिए श्रेष्ठ समझ थी। उनका मानना था कि संरचना और प्रभावी न्यायशास्त्र द्वारा समाज में शांति की रक्षा की जा सकती है। आज के संदर्भ में उनके कुछ विचार अप्रासंगिक हो सकते हैं लेकिन यह दर्शाता है कि प्राचीन हिन्दू न्यायशास्त्र संहिताबद्ध था और मूलतः सार्वजनिक कानून भी था। कौटिल्य की न्याय, युद्ध, मानवाधिकार और कूटनीति की समझ उन्हें अपने समय में अद्वितीय बनाते हैं। प्राचीन भारत में कौटिल्य की तुलना में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न्याय की कसौटी पर खरा उतर सके, जिसमें

न्याय एक राज्य-कला का उपकरण है। कौटिल्य का मानना था कि राज्य के लिए युद्ध करना और जीतना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण राज्य के भीतर कानून और व्यवस्था बनाए रखना भी ताकि इसे और अधिक शक्तिशाली बनाया जा सके।

कूटनीति पर कौटिल्य

कौटिल्य का मानना था कि राष्ट्र अपने राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य स्वहित में काम करते हैं। वो सोचते थे कि विदेश नीति या कूटनीति तब चलेगी जब तक राज्य स्वहित में कार्य करेगा क्योंकि प्रत्येक राज्य शक्ति और स्वहित की वृद्धि के लिए कार्य करते हैं। वो सोचते थे कि दुनिया ऐसी स्थिति में थी कि हर राज्य या तो युद्ध में था या युद्ध की तैयारी कर रहा था और कूटनीति इस निरंतर युद्ध में इस्तेमाल किया जाने वाला एक और हथियार था। उनका मानना था कि कूटनीति एक राज्य द्वारा की गई कार्रवाइयों की एक श्रृंखला है जिससे कि यह ताकत हासिल करता है और अंततः उस राष्ट्र पर विजय प्राप्त करता है जिसके साथ कूटनीतिक संबंध बनाए गए थे। उनका यह भी मानना था कि संधियाँ इस तरह से की जानी चाहिए कि राजा को लाभ हो और जो आगे चलकर राज्य के स्वहित की सेवा करे। उन्होंने संधियों का उल्लंघन करने और राज्यों के बीच मतभेद पैदा करने की भी बात की ताकि उनके राज्य को लाभ हो सके। कौटिल्य ने तीन प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन किया है जैसे नियम बनाना, नियम लागू करना और शासन निर्णय और उन्हें राज्य के मामलों के शीर्ष पर कूटनीति लाने में उनके योगदान के लिए मान्यता दी गई है। अपने शब्दों में वह कूटनीति को इस प्रकार परिभाषित करते हैं, “ एक राजा जो कूटनीति के वास्तविक निहितार्थ को समझता है वह पूरी दुनिया को जीत लेता है।”

कूटनीति के छह प्रकार : कौटिल्य ने न केवल प्रबल राजा और हमलावर के लिए रणनीतियों पर विस्तार से बताया, बल्कि यह भी बताया कि एक कमजोर राजा को अपनी रक्षा और राज्य की रक्षा के लिए किन रणनीतियों का पालन करना चाहिए। उनकी कूटनीति का रूप राजा के प्रकार पर भी निर्भर करता है कि उसकी नीति श्रेष्ठ, निम्न या समान की ओर निर्देशित है। वे छह प्रकार की विदेश नीति की वकालत करते हैं:

1. **संधि :** इसका अर्थ है आवास, जिसका अर्थ है कि राजा एक-दूसरे को समायोजित करना चाहते हैं और शत्रुतापूर्ण समाधान नहीं करते हैं। ये संधियाँ अस्थायी या स्थायी हो सकती हैं और यह राजाओं की सापेक्ष शक्तियों पर निर्भर करती हैं। इस संधि में विभिन्न उप-रूपों का प्रयोग बाद में राजनेताओं द्वारा किया गया है। बिस्मार्क ने आस्ट्रिया के साथ कर्मसंधि का इस्तेमाल किया था और अब ब्रिटेन की विदेश नीति संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अनावसितासंधि को बनाए रखने की है।

2. **विग्रह** : इसका अर्थ है पड़ोसी या राज्य के प्रति दिखाई गई शत्रुता। कौटिल्य का दृढ़ विश्वास था कि राज्य हमेशा युद्ध में रहते हैं और सत्ता चाहते हैं इसलिए कुछ राज्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण विदेशनीति रखना आवश्यक है जो या तो सत्ता में समान हैं या सत्ता में अधीनस्थ हैं।
3. **आसान** : इसका अर्थ है उदासीनता और वह इस नीति को उन राज्यों के लिए चुनते हैं जो राष्ट्रों की उनकी मण्डल अवधारणा में तटस्थ हैं। उनका यह भी मानना है कि समान शक्ति के मामले में एक उदासीन विदेश नीति अच्छी तरह से काम करती है। इस बिन्दु पर सहमति नहीं हो सकती है जैसा कि हमने इतिहास में समान शक्ति वाले राज्यों के मामले देखे हैं, उनके बीच हमेशा तनाव रहता है जिसके कारण या तो युद्ध हुआ या गठबंधन हुआ। जर्मनी ब्रिटेन को एक समान शक्ति के रूप में देखता था और उदासीन नहीं हो सकता था और न ही अमेरिका शीत युद्ध के दौरान रूस के प्रति उदासीन हो सकता था।
4. **द्वैधिभाव** : इसका अर्थ है दोहरी नीति जो बिस्मार्क द्वारा बहुत अच्छी तरह से लागू की गई थी। कौटिल्य इस विदेश नीति की वकालत उन राज्यों के लिए करते हैं जो सैन्य रूप से श्रेष्ठ हैं। कौटिल्य ने अपने मण्डल ढांचे के भीतर इसी अवधारणा का प्रस्ताव रखा।
5. **समाश्रय** : जब एक मजबूत राज्य हस्तक्षेप करता है और कमजोर राज्य को आश्रय देता है। कौटिल्य इस नीति की वकालत करते हैं जब एक मजबूत राज्य को एक समान शक्ति से खुद को बचाने के लिए एक ढाल की आवश्यकता होती है, तो तीसरे राज्य के लिए सुरक्षा की इस नीति का उपयोग करना और संभावित दुश्मन से बचाव के लिए इस संगठन का उपयोग करना अच्छा है। एक अर्थ में उपनिवेशवाद का पालन किया गया था, जहाँ यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका और एशिया में कमजोर राष्ट्रों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया और इस प्रकार उन्होंने एक-दूसरे के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत कर ली।
6. **यान** : यह नीति आक्रमण करने की है। कौटिल्य ने उल्लेख किया है कि एक राज्य में शांति और स्थिरता राज्य को और भी शक्तिशाली बनाती है लेकिन कमजोर और अन्यायी राजा पर हमला करने से कभी नहीं कतराती है। वह सोचता है कि एक अन्यायी राजा समाज को दुखी रखता है जो उस राज्य को संभावित लक्ष्य बनाता है क्योंकि यह सामाजिक अशांति के कारण कमजोर है। कौन जानता है कि जॉर्ज बुश ने इराक पर यान नीति को आगे बढ़ाने से पहले कौटिल्य को पढ़ा होगा ?

इस प्रकार कौटिल्य की विदेश नीति राजा में उनके दृढ़ विश्वास तथा सत्ता एवं धन के लिए राज्य की निरंतर खोज से बनी थी। उनकी कूटनीति की रणनीति हिंदू धर्म

और सामाजिक संरचना से भी प्रभावित थी जिसने उनकी सोच को विदेश नीतियों के प्रकार और उनके आवेदन के रूप में आकार दिया।

निष्कर्ष

कौटिल्य पूर्व में विशेष रूप से भारत में एक अतुलनीय राजनीतिज्ञ थे। जबकि उन्होंने राज्य-कला में महान योगदान दिया। युद्ध में नैतिकता की निंदा करके और अंत को न्यायोचित ठहराकर हिंदू धार्मिक सोच को चुनौती दी। वे असीमित कल्पना के साथ एक महान विचारक थे क्योंकि उनका ग्रंथ न तो अनुभवों से लिखा गया है और न ही अनुभवजन्य साक्ष्यों से बल्कि मिथकों और संभावनाओं से तैयार किया गया है। कौटिल्य की सोच ने निश्चित रूप से भविष्य के लेखन को आकार दिया है। जब मुगल मध्य-पूर्व से आक्रमण कर रहे थे और बाद में अंग्रेज भारत को पराभूत कर रहे थे तो कौटिल्य की रणनीति शायद ही कभी लागू की गई थी। अहम सवाल यह है कि क्या कौटिल्य के अर्थशास्त्र को लोकतंत्र में लागू किया जा सकता है या यह केवल निरंकुश राज्यशासनों पर लागू होता है। कौटिल्य, प्लेटो, अरस्तू और मैकियावेली सभी राजा के शासन को सर्वोच्च और राज्य को परम शक्ति के रूप में क्यों मानते हैं ? मेरी राय में कौटिल्य का न्याय और कूटनीति का सिद्धांत अभी भी लागू है लेकिन हमें यह भी समझने की जरूरत है कि सामाजिक संरचनाएं पहले की तुलना में तेजी से बदल रही हैं। अंततः जैसा कि कौटिल्य कहते हैं, "धर्म अपने व्यापक अर्थों में कानून है- आध्यात्मिक, नैतिक, और लौकिक। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह शासक हो या शासित, अपने धर्म से शासित होता है। जिस हद तक समाज ने धर्म का सम्मान किया, समाज ने अपनी रक्षा की, जिस हद तक समाज उसे नाराज करता है, समाज उसे कमजोर करता है।"

*पेंशन एक चादर है जो बुढ़ापे के बोझ को ढकती है,
पेंशन वो नाव है जो बुढ़ापे की वैतरणी को पार कराती है।*

ज़ूनी गुज्जरी और कश्मीर की महिला मिलिशिया (नागरिक सेना) की कहानी



– एम.ए. पंपोरी,
प्रधान महालेखाकार के वरिष्ठ निजी सचिव

ज़ूनी गुज्जरी ने कश्मीर के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन्होंने डोगरा युग के दौरान और उसके बाद भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

19वीं सदी के मध्य में सिख साम्राज्य के पतन के बाद, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डोगरा साम्राज्य के राजा गुलाब सिंह को 1845-46 के आंग्ल-सिख युद्ध के दौरान उनके समर्थन के लिए पुरस्कार के रूप में कश्मीर का नियंत्रण प्रदान किया। गुलाब सिंह जिन्होंने जम्मू क्षेत्र को नियंत्रित किया, ने बाद में जम्मू को कश्मीर और लद्दाख के साथ मिलाकर ब्रिटिश राज द्वारा अधिकृत जम्मू और कश्मीर की रियासत बनाई। जम्मू के डोगरा समुदाय से निकले डोगरा राजवंश ने 19वीं सदी की शुरुआत से लेकर 1947 तक एक सदी से भी ज्यादा समय तक जम्मू और कश्मीर पर शासन किया।

डोगरा शासकों के प्रति कई कश्मीरियों में नाराजगी थी क्योंकि उनकी दमनकारी नीतियों में मूल कश्मीरी आबादी के प्रति अत्यधिक कर, जबरन मजदूरी और राजनीतिक स्वतंत्रता के उनके अधिकार पर प्रतिबंध शामिल थे। इसके कारण कश्मीर में एक कट्टरपंथी राजनीतिक आंदोलन का उदय हुआ जिसका उद्देश्य महाराजा के शासन को कमजोर करना और कश्मीरियों के लिए अधिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय को बढ़ावा देना था।

ऐसे समय में जब राजनीति को पुरुष प्रधान क्षेत्र माना जाता था और महिलाओं का राजनीतिक प्रभाव सीमित था, कई कश्मीरी महिलाओं ने राजनीति में पदार्पण किया। कश्मीर

का इतिहास उन महिलाओं की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने बहादुरी और बलिदान के साथ प्रतिरोध किया और आत्मनिर्णय और न्याय के लिए अटूट प्रतिबद्धता दिखाई।



स्रोत: एंड्रयू व्हाइटहेड

डॉ. हाकिम सिंह, सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, सीटी यूनिवर्सिटी पंजाब के अनुसार "कश्मीर घाटी में अशांत समय के दौरान एक मुस्लिम आदिवासी महिला जूनी गुज्जरी ने महिलाओं की पहचान के खिलाफ चित्रित हर मौजूदा मिथक को झूठा साबित करने में सफलता पाई। उन्हें उस समय की वामपंथी पार्टी एनसी की सबसे भरोसेमंद कॉमरेड के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है।"

यद्यपि, जूनी गुज्जरी, जो बहादुरी और दृढ़ता की मिसाल हैं और जो डोगरा शासन से कश्मीर की आज़ादी के अभियान में अपनी भागीदारी के परिणामस्वरूप प्रमुखता में आईं, आज एक ऐसा नाम है जिसे भुला दिया गया है। इसमें शामिल खतरों के बावजूद, वह अपनी निडरता और अधिकारियों को चुनौती देने की इच्छा के लिए प्रसिद्ध थीं, जिसके कारण महाराजा के शासनकाल के दौरान उन्हें अपने राजनीतिक कार्यों के लिए नौ बार जेल जाना पड़ा।

इसके अलावा, आंदोलन में भाग लेने के कारण उनके पति ने भी उन्हें छोड़ दिया। दुख की बात है कि जूनी का अपने विश्वासों के लिए बलिदान तब और भी मार्मिक हो गया जब उनके छोटे बेटे की एक विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के दौरान दुखद मौत हो गई। यद्यपि, वह डोगरा शासन से कश्मीरी स्वतंत्रता की अपनी खोज में अडिग रहें।

जूनी गुज्जरी ने कश्मीर के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, पहले डोगरा युग के दौरान, फिर भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़कर और भारत की आजादी के लिए लड़ाई को आगे बढ़ाया। जब 22 अक्टूबर, 1947 को पाकिस्तानी कबाईलियों ने कश्मीर पर आक्रमण किया, तो उन्होंने लोगों को हथियार उठाने और अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए लड़ने के लिए उत्प्रेरक का काम किया। एक जन मिलिशिया (नागरिक सेना) की स्थापना की गई और हर धार्मिक पृष्ठभूमि से सदस्यों की भर्ती की गई

मिलिशिया (नागरिक सेना) की महिला इकाई, महिला आत्मरक्षा कोर का गठन किया गया और गुज्जरी तुरंत महिला मिलिशिया (नागरिक सेना) में सम्मिलित हो गईं। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उस समय कश्मीर में काफ़ी प्रभाव वाली पार्टी थी और भारत में शामिल होने के पक्ष में थी।

यद्यपि, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की कैद ने कश्मीर में महिला मिलिशिया (नागरिक सेना), महिला आत्मरक्षा कोर के उदय को गति दी, जिसमें जूनी गुज्जरी और अन्य महिलाएँ अग्रणी थीं। कश्मीर के मुक्ति संग्राम में उनका योगदान उनके साहस और समर्पण का प्रमाण है।

डॉ. हाकिम सिंह ने कहा, " जब महिलाओं को दुष्टता, कमजोरी, बुराई और अविश्वास, अज्ञानता आदि के प्रतीक के रूप में देखा जाता था, तब उन्होंने अपने लोगों और भूमि की आंतरिक और बाहरी दोनों ताकतों से रक्षा करने के लिए एक सेना नेता के रूप में काम किया। वह मुख्यधारा के राष्ट्रवादी आंदोलन का हिस्सा बनीं, जब उनके समुदाय की महिलाएं पूरी तरह से अज्ञानी, अशिक्षित, बेरोजगार और वंचित थीं और उनकी भूमिका खाना पकाने, पशु पालन आदि तक ही सीमित थी। इस क्षेत्र में उत्पीड़न के खिलाफ उनका प्रकार के साहसी और उग्र साथी उन्हीं से उत्पन्न हुए। "



स्रोत: एंड्रयू व्हाइटहेड

जूनी गुज्जरी इन बाधाओं के बावजूद अपने उद्देश्य में डटी रही और कई कश्मीरियों के लिए प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करने वाली बन गई। उनका जीवन और विरासत क्षेत्रीय स्वतंत्रता के संघर्ष के साथ-साथ इस उद्देश्य के समर्थन में अनगिनत कश्मीरियों द्वारा किए गए बलिदानों का प्रतिनिधित्व करती है। वह कश्मीर में स्वतंत्रता और न्याय के लिए संघर्ष

करने वालों की बहादुरी और दृढ़ता की याद दिलाकर भविष्य की पीढ़ियों को लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित करती रहती हैं।

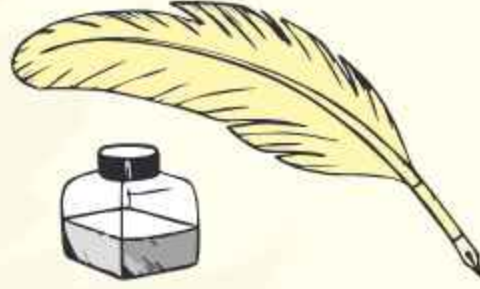
- मैं हाथ में मशीन गन लेकर आगे बढ़ूंगी,
- मैं हमलावरों को अपने बगीचे पर अतिक्रमण नहीं करने दूंगी;
- मैं अपने नाखूनों को उन लोगों के खून से रंगूंगी जो मुझसे लालच करते हैं,
- इंकलाब जिंदाबाद, जय हो, जय हो इंकलाब!

ये पंक्तियाँ जूनी गुज्जरी जैसी महिलाओं की प्रशंसा करने वाली मिर्जा गुलाम हसन बेग आरिफ की कविता "इंकलाब जिंदाबाद" का अंग्रेजी अनुवाद है।

यद्यपि मिलिशिया (नागरिक सेना) का आधिकारिक नाम महिला आत्मरक्षा कोर था, जिसमें संभवतः 100 से भी कम सदस्य थे, लेकिन इसने बहुत ध्यान आकर्षित किया और जश्न मनाया। युद्ध में कभी शामिल न होने के बावजूद, मिलिशिया (नागरिक सेना) के सदस्यों ने राइफल प्रशिक्षण लिया, जिससे यह संभावना बढ़ गई कि समूह को प्रगतिशील राष्ट्रवादी आंदोलन के "नए कश्मीर" के विचार के प्रतिनिधित्व के रूप में चित्रित करने का एक सचेत प्रयास था। केवल मिलिशिया (नागरिक सेना) का हिस्सा होने और प्रचार चित्रों में दिखाई देने से परे, महिलाओं ने 1940 के दशक में कश्मीरी राष्ट्रवाद को बहुत प्रभावित किया।

1948 के अंत में महिला मिलिशिया (नागरिक सेना) को भंग कर दिए जाने के बाद पुरुषों की काफी बड़ी मिलिशिया (नागरिक सेना) को भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल कर लिया गया। कश्मीर की स्वायत्तता के संघर्ष में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है और अक्सर इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है।

जूनी गुज्जरी की बहादुरी और बलिदान से लेकर महिला आत्मरक्षा कोर की स्थापना तक, कश्मीर में आज़ादी और न्याय की लड़ाई में महिलाएं सबसे आगे रही हैं। उनके योगदान ने क्षेत्र के इतिहास को आकार देने में मदद की है और आने वाली पीढ़ियों को आज़ादी और समानता की लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित करना जारी रखा है। जब हम अतीत पर विचार करते हैं और बेहतर भविष्य की दिशा में काम करते हैं, तो कश्मीर की आज़ादी और न्याय की लड़ाई में महिलाओं की भूमिका को पहचानना और उसका जश्न मनाना महत्वपूर्ण है।



कविताएं

रूठों को मनाया जाए



- के.पी. यादव
प्रधान महालेखाकार

अब इन वादियों में मोहब्बत बोया जाता है,
हर दिल जो प्यार करे उसे बुलाया जाता है ।

इस गुलशन में अब गुलों का राज है,
इस चमन में अब बहार ही बहार है ।

नफरत के शोलों को मोहब्बत ने बुझा दिया,
ज़ख्म जिसने भी दिए उन्हें भुला दिया ।

अब चिनार के पते भी मुस्कुराते हैं,
स्वागत की चादर हर रोज बिछाते हैं ।

सुबह हर रोज झीलों को चूम जाती है,
रात हर रोज तारों की बारात सजाती है ।

नफरत के जंगल में भटकने से क्या फायदा,
दिलों को तोड़ने से क्या फायदा ।

चलो इस गुलशन को सजाया जाए,
जो रूठ गए हैं उन्हें मनाया जाए ।

किरदार



- संदीप वर्मा,
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

तुम अक्सर पूछते हो,
लोग तुम्हारे दीवाने नहीं हैं।
तो सुनो
तुम्हारे दोस्त बहुत हैं,
मगर पुराने नहीं हैं।
जरूरत की महफिल में,
नहीं बने हैं दोस्त मेरे तुम्हारी तरह,
वो कल भी दोस्त थे, आज भी हैं और कल भी बेगाने नहीं हैं।
मैं अच्छा होने का ढोंग नहीं रचता,
जो नफरत करे, वो अभी मुझे पहचाने नहीं हैं।
जो खयाल रखता हूँ, किसी की बेवफाई पर,
बोल देता हूँ।
मुझे अपने जज्बात छिपाने नहीं हैं।
आवाज कर्कश है, मगर, मन में मैल नहीं है।
सुन लेना चाहे दीवार के कान लगाकर,
वो किस्से नहीं बताता ठिठौली में, जो तुमने कहा था बताने नहीं हैं।
कभी दूँदने निकलोगे मुझे, मिल जाऊँगा पुरानी जगह पर,
मेरे हर रोज बदले, ऐसे ठिकाने नहीं हैं।
एतबार नहीं होगा तो,
बता दूँगा साफ साफ।
मेरे पास फिजूल के बहाने नहीं हैं।

कुदरत



-शेख शफाअत हुसैन
सहायक पर्यवेक्षक

जिंदा दिल होना बहारों की तरह,
मुस्कुराते रहना हर मौसम की तरह।
सर उठाए जीना ऊंचे पहाड़ों की तरह,
मंजिल तलाशना तेज आबशारों की तरह।

कुदरत से मैंने सीखा है,
कुदरत से मैंने सीखा है।

शक्तिशाली बनना विशाल पहाड़ों की तरह,
खामोश बहते रहना गहरे दरियाओं की तरह।
महकते रहना रंगीन फूलों की तरह,
आसमानों में उड़ना चहकते परिंदों की तरह।

कुदरत से मैंने सीखा है,
कुदरत से मैंने सीखा है।

रेगिस्तान की तपती रेत की तरह,
डट कर लड़ना सिपाही की तरह।
नफरतों को मिटाना आंधियों की तरह,
सदा चमकते रहना सूरज की तरह।

कुदरत से मैंने सीखा है,
कुदरत से मैंने सीखा है।

माँ



-अयाजदीन शाला
वरिष्ठ लेखाकार

माँगने पर पूरी जहां हर मन्नत होती है,
माँ के पैरों में ही तो जन्नत होती है।

माँ तो जन्नत का फूल है,
प्यार करना तो उसका उसूल है।

आगे उसके दुनिया की मोहब्बत फजूल है,
माँ की हर दुआ कबूल है।

माँ को नाराज करना इंसान की भूल है
माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है

जब माँ इस दुनिया को छोड़ जाती है,
तो कोई कहता है कि माँ बूढ़ी थी,
तो कोई कहता है कि माँ बीमार थी

अरे नादान! माँ तो माँ है,
माँ जैसा इस दुनिया में कोई और कहां है।

पीपल के पेड़



-समरेश बहादुर
सहायक लेखा अधिकारी

हो अवतरित जब धरा पर आए हम
थे सब खुश, लेकिन उनकी आँखें नम
खुशियों के थे वो आँसू, कहां कभी वो रोते हैं
पापा, पापा पीपल के पेड़ होते हैं।

मेरे लिए क्या-क्या सपने संजोये
कर रहे थे वो सब कुछ साकार
नन्हें से बच्चे को ले गोद में
पा रहे थे धरा भर का प्यार
मुझे खिलाते, कहाँ थकते,
कहाँ कभी वो सोते हैं
पापा, पापा पीपल के पेड़ होते हैं।

पढ़ाया, लिखाया और दिया ऐसा संस्कार
पथ प्रगति का, ना डर हो ना अहंकार
वो आज भी नित नये सदगुण,
मेरे मन को बोते हैं
पापा, पापा पीपल के पेड़ होते हैं।

शिक्षा, नौकरी, शादी, फिर घर परिवार
ना धन संपत्ति, लोभ-मोह, बस अपनों का प्यार
सबको लेकर साथ चलते,
अपनों को न कभी खोते हैं
पापा, पापा पीपल के पेड़ होते हैं।

पर कहाँ टिकता पेड़ पीपल का,
पते भी झड़ जाते हैं
कहाँ सुनते अब बातें उनकी,
अपनी बातों पर अड़ जाते हैं
पा पैसा और प्यार नयेपन में,

बच्चे भी लड़ जाते हैं
अब क्या ही खोले वो अपनी जुबां,
बस तन्हा सा पड़ जाते हैं

फिर करते वो याद जीवन *समर* को,
कर्म फल आँसू में धोते हैं
पापा, पापा पीपल के पेड़ होते हैं।

पत्नी की तान का महत्व



-जितेन्द्र अवाना
लेखाकार

शादी कर जब सुनी पत्नी की तान,
ना मिली नौकरी छोड़ना पड़ेगा मकान।
ना मिलेगी रोटी, ना मिलेगा कोई खान पान
और जपना पड़ेगा राम नाम,
शादी कर जब सुनी पत्नी की तान,

पत्नी ने आज मुझको ऐसा ताना दिया,
दो दिन हो गये मुझे खाना तक ना दिया।
मैं बोला अरे सुनती हो भागवान
दो दिन हो गये खाना दे दो
नहीं तो चले जायेंगे मेरे प्राण।

पत्नी को अब गुस्सा आया।
नौकरी नहीं तो रोटी नहीं का पहाड़ा
उसने सुनाया, मैं भी कब तक सुनता।
पत्नी की तान मैं बोला अरे भागवान
क्यों खाती हो मेरे कान।

अब पत्नी के सब्र का बान्ध टूटा था।
उसने मुझको घर में बन्द कर बहुत कूटा था।
पत्नी का डर मुझ पर इतना छाया था।
याद नहीं नौकरी का फार्म मैंने किस से भरवाया था।
उस के डर ने रात दिन इतना पढ़वाया
एक रैंक मैं ले आया।

शादी कर न सुनी होती पत्नी की तान
ना मिली होती नौकरी,
घर में करना पड़ता झाड़ू पोंछे का काम,
अब मैं भी पत्नी को अपनी आंखे दिखा देता हूँ,
अपना मनपसंद का खाना उस से बनवाता हूँ।

जब पत्नी मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती है,
अजी सुनते हो गोलू के पापा कहकर मुझे बुलाती है,
मैं भी समझ जाता हूँ ये मक्खन मुझे लगाती है
एक साड़ी मुझे दिला दो, सोने का कंगन मुझे बनवा दो।
ये कहकर वो शर्माती है।

मैं भी एक बार मैं सुनता नहीं, पत्नी की कोई बात
हो जाता हूँ गुस्सा जब आती है खरीदारी की बात।
अब वो अपना जादू चलाती है,
मेरी आँखों में आँखें डाल अपनी सभी बात मनवाती है।

वीर अभिमन्यु

-जितेन्द्र अवाना

लेखाकार

युद्ध भूमि में जाने की
अभिमन्यु ने ठानी थी।
मैं तुम को ये बतला दूँ।
सोलह साल उसकी जवानी थी।

चक्रव्यूह की विधा उसने,
माँ के पेट में ही जानी थी।
चक्रव्यूह में सिंहों के बीच,
महावीर की ये कहानी थी।

देखो रण में वीर अकेला और
सामने शत्रु का मेला था।
नहीं घबराया वीर,
बालक वो अलबेला था।

प्राणों की चिंता न कर वो।
चक्रव्यूह में अकेला कूद पड़ा,
शत्रुओं पर काल बनकर,
रण में टूट पड़ा।

अभिमन्यु ने अपने धनु पर,
जब बाण चढ़ाया था।
अभिमन्यु की देख वीरता
शत्रु अब घबराया था।

सोलह साल के उस बच्चे ने
युद्ध में हाहाकार मचाया था।
शत्रु सेना का रक्त उसने,
पानी की तरह बहाया था।

अभिमन्यु की देख वीरता
दुर्योधन घबराया था।
सभी मिलकर मारो इस को
स्वर दुर्योधन का आया था।

हँस कर बोला अभिमन्यु
युद्ध पथ पर हूँ खड़ा।
हार नहीं मैं मानूँगा।
छल-कपट कर मारोगे।
वीर नहीं तुम को जानूँगा।

फिर शत्रुओं ने मिलकर,
उस पर आघात किया।
युद्ध नियम को तार-तार किया।

वीर अभिमन्यु को रण में।
छल से पापियों ने मारा था।
अभिमन्यु की देख मृत्यु,
देवताओं को भी रोना आया था।

अनजान



-रमेश कुमार कौल
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

मैंने सजाया था तुम्हें अपने मुकुट में मान-सा,
लेकिन तुम्हें न हो सका उसका जरा भी भान-सा।

अब क्या करे कोई तुम्हारी सोच तो बदली नहीं,
तुमको भी साथी चाहिए एक जादूगर धनवान-सा।

सोचा बहुत, रोका बहुत पर फिर भी देखो न थमा,
आज भी उठता है दिल में एक बड़ा तूफान-सा।

देखते हो क्या मकां ये इसमें कोई घर नहीं,
एक खंडहर है फकत टूटा हुआ वीरान-सा।

दौलतें जग की मिलें पर न मिले घर साथिया,
मधुकर बना रहता है फिर इंसान इक अनजान-सा।



- रमन कटारिया
सहायक लेखा अधिकारी

तम

साज नहीं कोई गाज नहीं
कंठ मुख में भी आवाज नहीं
शोर चुप्पी का है मन में बस....!
कल तक केवल कल ही ना था
आज रहा अब आज नहीं
पृष्ठ ऐसा खुला है जीवन में
पाठन क्षमता ही विलुप्त लगे
आशा की किरण का है क्या
जब चक्षु में ही प्रकाश नहीं
जीवन केवल दुख सागर है
मृत्यु ही पार लगाएगी
आज ही नहीं जब आज रहा
होगा यहां कल, कल भी नहीं!

अस्पष्ट औचित्य

असीम यहां विषैले हैं
विशेष की खोज ही करते हैं
जीवन दुख सागर अनंत यहां
दुख में विष मिश्रित करते हैं
चक्षुविहीन स्वयं हों चाहे
ना कोई सीधा चल पाए
थामे हो यद्यपि हाथ जिसका
पग में स्वयं कंकर भरते हैं
विशेष विशेष नहीं रहता
उसका शे मिट फिर जाता है
असीम असीम रहता है बस
एक से अन्त क्या सुख पाता है?
एक से अनंत क्या सुख पाता है?....

निवृत्ति परिप्रेक्ष्य

पग बंध गए उन राहों पर,
जो राहें मुझ तक ही आती हैं।

जीवन चलते अनुभव दर्पण
कुछ बाहें खींच मिटाती हैं।

आँख जहाँ तक ना जाए
हम वह मंजिल छू पाए हैं।

जो श्री राम रहे कृष्ण जिए
उस उम्र को भी प्रमाण हमारे हैं।

हर बंधन एक दिन टूटेगा ही
तो क्यों दुख में प्रस्थान करें।

यादें चुन लें कुछ बातों की
कुछ पल और अपने नाम करें।

आओ मिल कर सब एक काम करें
आओ मिल कर सब एक काम करें।

कर्म सेवा को प्रणाम करें
कर्म सेवा को प्रणाम करें।

पुरानी घड़ी

मेशी वह पुरानी चाबी वाली घड़ी
जो आज बंद कमरे के किसी कोने में है पड़ी।

याद दिलाती है उस समय को
जब चाबी भरने का समय चलता था
चाबी भरने की प्रतीक्षा भी
जब समय हमारी करता था।

आज के जीवन में हमने गति को अपनाया है
समय भी चाबी छोड़ नए रूप में आया है।

मानव ने की जो समय से जंग
हो गया है यह अपने आप से भी तंग।

आओ मिलकर समय को धीरे करें
किसी मित्र पुराने संग मिल देरों बातें करें।

अपनों संग बैठे-बैठे सब भूल जाएगा
समय भी तब अपनी पुरानी चाबी संग लौट
आएगा।

समय भी तब अपनी पुरानी चाबी संग लौट
आएगा।

हिंदी हमारे देश और भाषा की प्रभावशाली विरासत है।

-माखनलाल चतुर्वेदी

जीवन गाथा



-राहुल यादव
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

सूर्यदेव से वरदान माँगा था तुमने,
बिन ब्याही होकर भी पुत्र माँगा था तुमने
पर क्या माँ कहलाने का माददा था तुममें,
और ये बताओ

कि सत्यापित वरदान को था करना
कि था कलंक माथे पर गढ़ना
कि था पवित्रता को सूली पर चढ़ना।

आँचल तो पावन हो गया फिर से
गंगा में बहा मुझको,
कलंक का भार भी उतर गया सर से।

परंतु मेरे बारे में क्या कभी सोचा है
कि जीवन पाना तो मेरा अधिकार नहीं था,
किन्तु जन्म देकर ठुकरा दिया जाऊँ,
ऐसी दुर्गति का भी तो हकदार नहीं था।

क्षत्रिय के घर पल कर
राजा में बन जाऊँ,
ये तो मेरा अधिकार नहीं था।
परंतु गरीबी में खप कर
धूप में तप कर
ग्रंथों को घट कर
योग्यता की सीढ़ी चढ़कर
भी मैं दुत्कारा जाऊँ,
क्या यह व्यवहार सही था।

हे प्रभु,
जो तुमने किया सो किया
जैसा जीवन दिया सो दिया
मेरा जैसा भाग्य सिया सो सिया।

मैं भी जीवन पाकर,
अपने दुखों को गाकर
खाली हाथ न चला जाऊँगा,
हकदार नहीं था जिन-जिन का भी
वही कीर्तिमान स्थापित मैं कर दिखलाऊँगा।

ईश्वर का आशीर्वाद मैं पाऊँगा
और दुत्कारने वाले के मुख से भी मैं
शाबाशी के बोल कहलवाऊँगा।

गर ईश ही बुरा चाहने लगे मेरा,
और मेरे कर्मों ने ही मुझे आ घेरा
तो इसे भी सत्कर्म मान कर,
अपने प्राणों की आहुति मैं दे जाऊँगा।

समस्त ब्रह्माण्ड को अश्रुओं में छोड़ जाऊँगा।
समस्त ब्रह्माण्ड को अश्रुओं में छोड़ जाऊँगा।

आभार



-सतीश महानूरी
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

मेरे कठिन समय में
और मेरे हार जाने पे,
तूने मुझे सजाया संवारा
हर पल हर समय बन सहारा।

मेरी प्रतिष्ठा मेरी आशा,
मेरी आकांक्षा मेरी अभिलाषा
सब को बस तूने ही उभारा,
और जीने का सलीका सिखाया।

न चलने फिरने का साधन न रहने को था घर
हर पल जीने से लगता था डर
तेरे साथ ने साधन दिया और दिया घर
जीवन सरल हुआ छुमंतर हुआ डर।

मेरा घर छूट जाना नहीं था आसान
शून्य से ऊपर उठाने में है तेरा एहसान,
तेरे आने से पहले यह जीवन था वीरान।
तू आई तो जीवन में मिला मान-सम्मान।

शीतल और मीठा एहसास हो तुम
मेरी शक्ति और मेरा सहारा हो तुम
हाँ ! तुम ही तो हो मेरा पहला प्यार।
मेरे कार्य एवं कार्यशाला को मेरा नमन व आभार।

ऐ जिंदगी तेरे लिए

-रमेश कुमार कौल
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

क्या क्या करना रह गया बाकी
बस इतना बता दे,
बहुत भटक लिया गुमनामी में
ऐ जिंदगी तेरे लिए।

जाना है कहाँ सपनों की खातिर
बस वो राह दिखा दे,
दर-दर झुकाया सर गैरों के आगे
ऐ जिंदगी तेरे लिए।

हिम्मत है अब भी अंदर
बस थोड़ी सी और बढ़ा दे,
बिना रुके निरंतर चलता रहा
ऐ जिंदगी तेरे लिए।

मिल जाए थोड़ी सी खुशी
बस उम्मीद के दीप जला दे,
काटे हैं दिन-रात आफत गर्दिश में
ऐ जिंदगी तेरे लिए।

अपना पराया कभी न सोचा
फिर भी सब नाराज हुए,
क्या गलती थी मेरी आखिर
जरा मुझे बतला दे।

वक्त



-सुमन कुमारी
कनिष्ठ अनुवादक (लेखापरीक्षा)

समय की गति में जीवन है बसा,
वक्त के संग बदलता रंग है बसा।
सुबह की किरणों से लेकर रात की चांदनी तक,
हर पल एक नई कहानी बनती है यहाँ।
वक्त के साथ चलना होगा हमें,
नए सपनों को पुराने सपनों से मिलाना होगा हमें।

क्योंकि वक्त न किसी का थमता है, न रुकता है,
हर किसी को अपने कर्मों का फल पाना है, बस यही कहता है।

जीवन के हर रंग को बसेरा बना लो,
वक्त के साथ चल कर नई दुनिया सजा लो।

वक्त के पीछे हाथ न बढ़ाओं,
उसके साथ चलो और नए सफर पर जाओं।

समय की निगाहों में छिपा है जीवन का राज,
वक्त का सही इस्तेमाल करके पाओ खुशियों का खजाना तुम आज।

वक्त के साथ जीना सीखो, वक्त के साथ मुस्कुराना सीखो,
इसी वक्त का उपयोग करके, खुद को बेहतर बनाना सीखो।

नया साल आया है



-इजहार अहमद शाह
वरिष्ठ लेखापरीक्षक

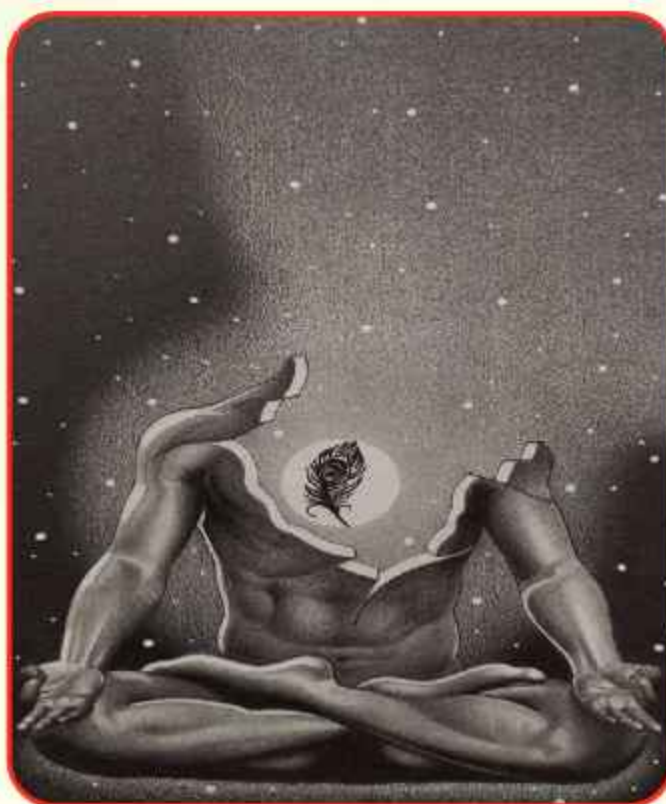
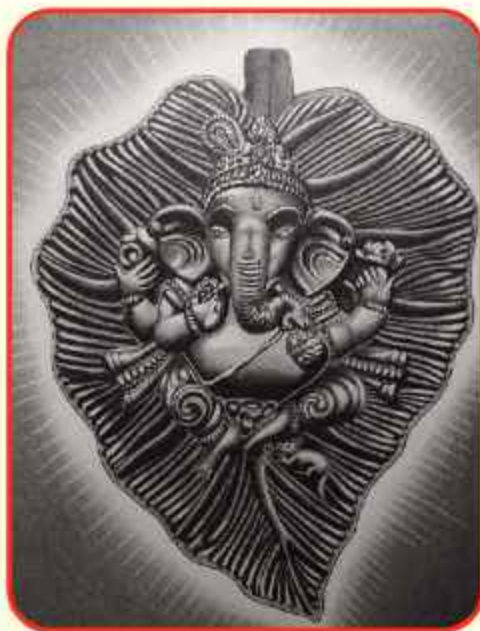
बहारों फूल बरसाओ नया साल आया है नया साल आया है,
लोगों गीत गाओ नया साल आया है, नया साल आया है
हर एक दिन हो हमारे लिए प्याम खुशी का,
हर एक महीना हो हमारे लिए तोहफा
इतेफाक का, खुश रहो मेरे दोस्तों,
नया साल आया है, नया साल आया है

आज आसमान भी खुश है जमीन भी
हर एक तरफ से आ रही है महक प्यार की,
खुदारा तुम दिल को बहलाओ
नया साल आया है, नया साल आया है
सजाए हर एक ने ख्वाब इस साल से ताबीर हो
अच्छी इनकी यही दुआ है मेरे ख्वाबों रंग बिखराव हो
नया साल आया है, नया साल आया है

खिलेंगे फूल अब बागों में बहार आएगी
अब खजानों में हर एक तरफ से आएगी
महक खुशबू की जरा अपने आप को संभालो
नया साल आया है, नया साल आया है

इजहार कर दुआ हर एक को खुश रहने की
नया साल मुबारक हो खुश रहो
खुदा से शुक्र कर लो
नया साल आया है, नया साल आया है।

श्री रमन कटारिया, सहायक लेखा अधिकारी द्वारा हस्तनिर्मित चित्र



गांदरबल में आयोजित पेंशन अदालत

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा दि. 10.08.2024 को जिला ट्रेजरी कार्यालय गांदरबल के सहयोग से मध्य कश्मीर के जिला गांदरबल में लघु सचिवालय के सभागार में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रथम "पेंशन अदालत" का आयोजन किया गया। श्री पवन कुमार राठी, उप महालेखाकार की अध्यक्षता में वित्त विभाग के अधिकारियों, अन्य सरकारी विभागों के डीडीओ के अतिरिक्त सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों ने पर्याप्त संख्या में अदालत में भाग लिया।

इस एक दिवसीय पेंशन अदालत में पेंशन भोगियों के सामने आने वाली कठिनाइयाँ और अन्य समस्याओं का निवारण किया गया जबकि दूसरी ओर अधिकारियों और वरिष्ठ पेंशन भोगियों के मन में चल रही सभी शंकाओं और उलझनों का समाधान किया गया। बैठक के दौरान, पेंशन नियमों तथा विनियमों के संबंध में विस्तृत जानकारी को प्रोजेक्टर की सहायता से प्रसारित किया गया।





**हिंदी पखवाड़ा (दिनांक 14.09.2023 से 26.09.2023) के उपलक्ष्य में
आयोजित प्रतियोगिताओं के परिणाम के आधार पर लेखा एवं हकदारी कार्यालय के विजयी प्रतिभागी**

क्रम संख्या	प्रतियोगिता	श्रेणी	विजेता प्रतिभागी का नाम सर्व श्री/श्रीमती/कुमारी	पदनाम	पुरस्कार
1.	निबंध लेखन प्रतियोगिता	हिंदी भाषी	अजय कुमार	लेखाकार	प्रथम
			उदयभान सिंह	सहायक लेखा अधिकारी	द्वितीय
			अंकित श्रीवास्तव	लेखाकार	तृतीय
		अहिंदी भाषी	अयाज दीन शाला	वरिष्ठ लेखाकार	प्रथम
			शफात हुसैन	वरिष्ठ लेखाकार	द्वितीय
			फहीम अशरफ	लिपिक	तृतीय
2.	भाषा ज्ञान प्रतियोगिता	हिंदी भाषी	अंकित श्रीवास्तव	लेखाकार	प्रथम
			अजय कुमार	लेखाकार	द्वितीय
			प्रवेश डागर	लेखाकार	तृतीय
		अहिंदी भाषी	अयाज दीन शाला	वरिष्ठ लेखाकार	प्रथम
			मकसूद अहमद	वरिष्ठ लेखाकार	द्वितीय
3.	श्रुतलेखन प्रतियोगिता	हिंदी भाषी	अजीत तोमर	लेखाकार	प्रथम
			अंकित श्रीवास्तव	लेखाकार	द्वितीय
			अजय कुमार	लेखाकार	तृतीय
		अहिंदी भाषी	अयाज दीन शाला	वरिष्ठ लेखाकार	प्रथम
			रविन्द्र रैना	सहायक पर्यवेक्षक	द्वितीय
			मकसूद अहमद	वरिष्ठ लेखाकार	तृतीय
4.	पत्र लेखन प्रतियोगिता	हिंदी भाषी	संतोष कुमार	लेखाकार	प्रथम
			अंकित श्रीवास्तव	लेखाकार	द्वितीय
			प्रवेश डागर	लेखाकार	तृतीय
		अहिंदी भाषी	शफात गुल खान	वरिष्ठ लेखाकार	प्रथम
			अयाज दीन शाला	वरिष्ठ लेखाकार	द्वितीय
			फहीम अशरफ	लिपिक	तृतीय
5.	वाचन प्रतियोगिता	केवल अहिंदी भाषी	रविन्द्र रैना	सहायक पर्यवेक्षक	प्रथम
			रेहाना अख्तर	वरिष्ठ लेखाकार	द्वितीय
			तारिक अहमद तोन	वरिष्ठ लेखाकार	तृतीय
6.	सामान्य शब्द ज्ञान प्रतियोगिता	हिंदी भाषी	अंकित श्रीवास्तव	लेखाकार	प्रथम
			उदयभान सिंह	सहायक लेखा अधिकारी	द्वितीय
			अजीत तोमर	लेखाकार	तृतीय
		अहिंदी भाषी	अयाज दीन शाला	वरिष्ठ लेखाकार	प्रथम
			दिलाल अहमद वानी	लेखाकार	द्वितीय
			रुक्मैया रसूल	लेखाकार	तृतीय
7.	प्रशासनिक शब्द ज्ञान प्रतियोगिता	हिंदी भाषी	अजीत तोमर	लेखाकार	प्रथम
			प्रवेश डागर	लेखाकार	द्वितीय
			उदयभान सिंह	सहायक लेखा अधिकारी	तृतीय
		अहिंदी भाषी	अयाज दीन शाला	वरिष्ठ लेखाकार	प्रथम
			दिलाल अहमद वानी	लेखाकार	द्वितीय

हिंदी पखवाड़ा (दिनांक 14/09/2023 से 26/09/2023) के उपलक्ष्य में आयोजित प्रतियोगिताओं के परिणाम के आधार पर लेखापरीक्षा कार्यालय के विजय प्रतिभागी

क्र.सं	प्रतियोगिता का नाम	विजेता प्रतिभागी का नाम सर्व श्री/श्रीमती/कुमारी	पदनाम	पुरस्कार
01	हिंदी निबंध	अनूप कुमार राजवंशी	स.ले.प.अ.	प्रथम
		समाट सिंह	स.ले.प.अ.	द्वितीय
		अमित पंसारी	स.ले.प.अ.	तृतीय
02	श्रुत लेखन (हिंदी भाषी हेतु)	पुनीत कुमार	लेखापरीक्षक	प्रथम
		अनामिका मिश्रा	आशुलिपिक	द्वितीय
		सचिन कुमार शर्मा	वरि. लेखापरीक्षक	तृतीय
03	श्रुत लेखन (हिंदीत्तर भाषी हेतु)	जावेद अहमद वानी	वरि. लेखापरीक्षक	प्रथम
		मंजूर अहमद नजार	वरि. लेखापरीक्षक	द्वितीय
		इजहार अहमद शाह	वरि. लेखापरीक्षक	तृतीय
04	हिंदी शब्द ज्ञान	प्रिया सिंह	स.ले.प.अ.	प्रथम
		विनय भालोठिया	स.ले.प.अ.	द्वितीय
		सचिन कुमार शर्मा	वरि. लेखापरीक्षक	तृतीय
05	पत्र लेखन	पुनीत कुमार	लेखापरीक्षक	प्रथम
		अनूप कुमार राजवंशी	स.ले.प.अ.	द्वितीय
		शिवेंद्र मिश्रा	वरि. लेखापरीक्षक	तृतीय
06	टिप्पण लेखन	शिवेंद्र मिश्रा	वरि. लेखापरीक्षक	प्रथम
		प्रिया सिंह	स.ले.प.अ.	द्वितीय
		सचिन कुमार शर्मा	वरि. लेखापरीक्षक	तृतीय

हिंदी पखवाड़ा-2023 की कुछ झलकियां



हिंदी पखवाड़ा-2023 के समापन समारोह में मंचासीन अधिकारीगण



समापन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधान महालेखाकार महोदय



प्रशासनिक शब्दावली

अंग्रेजी में	हिंदी में
Pr. Accountant General	प्रधान महालेखाकार
Sr. Dy. Accountant General	वरिष्ठ उप महालेखाकार
Dy. Accountant General	उप महालेखाकार
Sr. Accountants Officer	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
Sr. Audit Officer	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
Assistant Accounts Officer	सहायक लेखा अधिकारी
Assistant Audit Officer	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
Accountant	लेखाकार
Auditor	लेखापरीक्षक
Sr. Accountant	वरिष्ठ लेखाकार
Sr. Auditor	वरिष्ठ लेखापरीक्षक
Supervisor	पर्यवेक्षक
Pay and Accounts Officer	वेतन एवं लेखा अधिकारी
Audit	लेखापरीक्षा
For approval please	अनुमोदनार्थ
Seen and retuned with thanks	देखकर सधन्यवाद वापस किया जाता है
We have no further comments	हमें आगे और कुछ नहीं कहना है
The case is concerned with.....section	यह मामलाअनुभाग से संबंधित है
This requires administrative approval	इसके लिए प्रशासनिक अनुमोदन आवश्यक है
Orders may be issued	आदेश जारी कर दिए जाएं
Timely compliance may be ensured	समय पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए
Please discuss	कृपया चर्चा करें
Facts of the case may be furnished	मामले के तथ्य पेश करें
Orders may be issued	आदेश जारी किए जाएं
Issue reminder urgently	तुरंत अनुस्मारक भेजें
As above	जैसा ऊपर दिया गया है
As per rules	नियमानुसार

As proposed	यथा प्रस्तावित
As amended	यथा संशोधित
For perusal	अवलोकन के लिए
For onwards action	आगे भेजने के लिए
Please put up	कृपया प्रस्तुत करें
Please inform immediately	तुरंत सूचित कर दें
Passed for payment	भुगतान के लिए पास
For disposal	निपटान के लिए
For further action	आगे की कार्रवाई के लिए
No further action is necessary	आगे कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं
Copy enclosed	प्रतिलिपि संलग्न है
Tour programme	दौरा कार्यक्रम
Submitted for orders please	आदेशार्थ प्रस्तुत
Submitted for approval please	अनुमोदनार्थ प्रस्तुत
Kindly accord concurrence	कृपया सहमति प्रदान करें
Kindly review the case	कृपया मामले की समीक्षा करें
Explanation may be called for	स्पष्टीकरण मांगा जाए
Show cause notice	कारण बताओ सूचना
Copy enclosed for ready reference	संदर्भ के लिए प्रति संलग्न है
As per details below	नीचे दिए गए ब्याँरे के अनुसार
To be followed	अनुसरण किया जाए
Letter of request	अनुरोध पत्र
Resolution	संकल्प
Should be given top priority	परम अग्रता दी जाए
Coordination committee	समन्वय समिति
For signature	हस्ताक्षर के लिए
The final bill is not in the prescribed form	अंतिम बिल निर्धारित प्रपत्र में नहीं है
As early as possible	यथाशीघ्र
For sympathetic consideration	सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिए

हिंदी प्रश्नोत्तरी

-के.पी. यादव
प्रधान महालेखाकार

1. निम्नलिखित में किसको "प्रकृति का सुकुमार कवि" कहा जाता है:-
क) महादेवी वर्मा
ख) सूर्यकांत त्रिपाठी निराला
ग) जयशंकर प्रसाद
घ) सुमित्रानंदन पंत
2. "कामायनी" किसकी रचना है:-
क) महादेवी वर्मा
ख) जयशंकर प्रसाद
ग) रामधारी सिंह दिनकर
घ) कबीर
3. "बीजक" किसकी रचना है:-
क) सूरदास
ख) रसखान
ग) तुलसीदास
घ) कबीरदास
4. निम्नलिखित में कौन निर्गुण कवि है:-
क) सूरदास
ख) तुलसीदास
ग) कबीरदास
घ) रसखान
5. इनमें कौन प्रेमचंद की रचना नहीं है:-
क) गोदान
ख) गबन
ग) निर्मला
घ) चंद्रगुप्त
6. बाएं हाथ से तीर चलाने वाले को क्या कहते हैं:-
क) सारथी
ख) सव्यसाची
ग) अजातशत्रु
घ) शत्रुघ्न

7. "आधा गांव" किसकी रचना है:-
क) प्रेमचंद
ख) राही मासूम रज़ा
ग) रसखान
घ) कृष्णा सोबती
8. निम्नलिखित में "कश्मीर कोकिला" कौन है:-
क) हब्बा खातून
ख) रूपा भवानी
ग) लालेश्वरी
घ) निताशा कौल



9. उपरोक्त तस्वीर किसकी है:-
क) रानी दिग्दा
ख) जूनी गुज्जरी
ग) राज बेगम
घ) बेगम जफ़र अली

उत्तर

1. घ 2. ख 3. घ 4. ग

5. घ 6. ख 7. ख 8. क 9. ख

राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निदेश

1. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें व सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञापत्र, निविदा सूचनाएं और निविदा प्रपत्र द्विभाषिक रूप में, अंग्रेजी और हिंदी, दोनों में जारी किए जाएं। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 6 के अंतर्गत ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का दायित्व यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार, निष्पादित अथवा जारी किए जाएं।

2. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना है।

3. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अनुसार केंद्र सरकार के जिन कार्यालयों के 80 प्रतिशत कार्मिकों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं। इसके अंतर्गत अधिसूचित बैंकों की शाखाओं में निम्नलिखित कार्य हिंदी में किए जाएं:-

“ग्राहकों द्वारा हिंदी में भरे गए आवेदनों और अंग्रेजी में भरे गए आवेदनों पर ग्राहकों की सहमति से जारी किए जाने वाले मांग ड्राफ्ट, भुगतान आदेश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सभी प्रकार की सूचियां, विवरणियां, सावधि जमा रसीदें, चेक बुक संबंधी पत्रादि, दैनिक बही, मस्टररोल, प्रेषण बही, पास बुक, लॉग बुक में प्रविष्टियां, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, सुरक्षा एवं ग्राहक सेवा संबंधी कार्य, नये खाते खोलना, लिफाफों पर पते लिखना, कर्मचारियों के यात्रा भत्ते, अवकाश, भविष्य निधि, आवास निर्माण अग्रिम, चिकित्सा संबंधी कार्य, बैठकों की कार्यसूची, कार्यवृत्त आदि।”

4. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अनुसार केंद्र सरकार, ऐसे अधिसूचित कार्यालयों के हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को टिप्पण, प्रारूपण और अन्य उन शासकीय कार्यों को केवल हिंदी में करने के लिए आदेश जारी कर सकती है, जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट हों।

5. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा। केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्ट्रों के प्ररूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे। केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी और मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी। तदनुसार, केंद्र सरकार के कार्यालयों से अपेक्षा है कि वे सभी मैनुअल, संहिताएं एवं प्रक्रिया संबंधी असांविधिक साहित्य से संबंधित अन्य प्रक्रियात्मक साहित्य अनुवाद के लिए केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो में भेजें।

6. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमावली के प्रावधानों तथा इनके अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो तथा इस प्रयोजन से उपयुक्त एवं प्रभावकारी जांच बिंदु बनाए जाएं।

7. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने केंद्रीय हिंदी समिति की 31वीं बैठक के कार्यवृत्त में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए सुझावों पर पुनः बल दिया है। ये सुझाव हैं :- सरकारी हिंदी और सामाजिक हिंदी के अंतर को कम करना, देश की दूसरी भाषाओं से हिंदी को और समृद्ध करने के लिए उपाय करना, दूसरी भाषाओं के अच्छे शब्दों को हिंदी में ग्रहण करना, दूसरी भारतीय भाषाओं से अच्छे शब्दों को खोजकर हिंदी भाषा में जोड़ना, हिंदी में अनुवाद सरल भाषा में सुनिश्चित करना जिससे सरकारी भाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में बाधक नहीं, सहायक हो।

8. राजभाषा विभाग ने भारत सरकार के सभी सचिवों/विभिन्न सरकारी संगठनों के प्रमुखों से आग्रह किया है कि जब वे प्रत्येक माह वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करें तो वे उनमें हिंदी में सरकारी काम-काज में हुई प्रगति की भी समीक्षा करें और अपने संगठन में राजभाषा अधिनियम तथा नियमों के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन के बारे में चर्चा करें। साथ ही, संयुक्त सचिव (प्रशासन)/संगठन के प्रशासनिक प्रमुख को हिंदी कार्यान्वयन तथा वर्ष की प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अध्यक्षता करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाए।

9. कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा का संवर्ग गठित होना चाहिए, जो कि कुल पदों के अनुरूप हो। मंत्रालयों/विभागों के अधीनस्थ कार्यालयों के हिंदी पदाधिकारियों को केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के समान वेतनमान व पदनाम दिए जाएं।

10. अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न-पत्र को छोड़कर शेष विषयों के प्रश्न-पत्रों के उत्तर हिंदी में भी देने की छूट दी जाए और ऐसे प्रश्न-पत्र द्विभाषी रूप से, हिंदी तथा अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएं। साक्षात्कार या मौखिक परीक्षा में उम्मीदवारों को हिंदी में उत्तर देने की छूट दी जाए।

11. केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा सभी सेवाकालीन, विभागीय तथा पदोन्नति परीक्षाओं (अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षाओं सहित) में अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्रों के उत्तर हिंदी में देने का विकल्प दिया जाए। प्रश्न पत्र अनिवार्यतः दोनों भाषाओं, हिंदी और अंग्रेजी, में तैयार कराए जाएं। जहां साक्षात्कार लिया जाना हो, वहां अभ्यर्थियों को पूछे गए प्रश्नों का उत्तर हिंदी में देने की अनुमति दी जाए।

12. सभी प्रकार की वैज्ञानिक/तकनीकी संगोष्ठियों तथा परिचर्चाओं आदि में वैज्ञानिकों आदि को राजभाषा हिंदी में शोध पत्र पढ़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए। उक्त शोध पत्र संबंधित मंत्रालय/विभाग और कार्यालय आदि के मुख्य विषय से संबंधित हों।

13. केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि हिंदी संगोष्ठियों का आयोजन करें।

14. 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में सभी प्रकार का प्रशिक्षण, चाहे वह अल्पावधि का हो अथवा दीर्घावधि का, सामान्यतः हिंदी माध्यम से हो। 'ग' क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण सामग्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराई जाए और प्रशिक्षणार्थी की मांग के अनुसार हिंदी या अंग्रेजी में उपलब्ध कराई जाए।

15. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा कोई भी गैर सरकारी संस्था केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राजभाषा का प्रशिक्षण देने के लिए अधिकृत नहीं की गई है। राजभाषा विभाग के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्र पहले से ही देश भर में काम कर रहे हैं जो केंद्र सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण निःशुल्क देते हैं एवं राजभाषा पर विचार-विमर्श के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों द्वारा संबंधित कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर 'लीला' राजभाषा के माध्यम से अंग्रेजी के अतिरिक्त 14 भारतीय भाषाओं के माध्यम से हिंदी भाषा का प्रशिक्षण ऑनलाइन दिए जाने की सुविधा उपलब्ध है। अतः गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जा रहे राजभाषा के प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए सरकारी कोष से अनावश्यक धन खर्च करना उचित नहीं है।

16. विभिन्न कार्यालयों में हिंदी में कार्य करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए हिंदी कार्यशालाओं के आयोजन के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यशाला की न्यूनतम अवधि एक कार्य दिवस की होगी। कार्यशाला में न्यूनतम दो तिहाई समय कार्यालय से संबंधित विषयों पर हिंदी में कार्य करने का अभ्यास करवाने में लगाया जाए।

17. केंद्र सरकार के कार्यालयों की मांग पर केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

18. केंद्र सरकार के कार्यालयों में जब तक हिंदी टंककों व हिंदी आशुलिपिकों से संबंधित निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लिए जाते, तब तक उनमें केवल हिंदी टंकक व हिंदी आशुलिपिक ही भर्ती किए जाएं।

19. अनुवाद कार्य तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से जुड़े सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में अनिवार्य अनुवाद प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए। ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को भी अनुवाद के प्रशिक्षण के लिए नामित किया जा सकता है, जिन्हें स्नातक स्तर पर हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान हो तथा जिनकी सेवाओं का उपयोग कार्यालय द्वारा अनुवाद कार्य के लिए किया जा सकता है।

20. अनुवादकों को, मानक शब्दकोश (अंग्रेजी-हिंदी व हिंदी-अंग्रेजी) तथा अन्य तकनीकी शब्दावलियों के रूप में सहायक सामग्री उपलब्ध कराई जाए।

21. भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रशिक्षण के दौरान हिंदी भाषा का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाता है ताकि सरकारी कामकाज में वे इसका प्रयोग कर सकें। तथापि, अधिकांश अधिकारी सेवा में आने के पश्चात सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग नहीं करते। इससे उनके अधीन कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों में सही संदेश नहीं जाता। परिणामस्वरूप, सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग अपेक्षित मात्रा में नहीं हो पाता। केंद्र सरकार के कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों का यह संवैधानिक दायित्व है कि वे सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें। इससे उनके अधीन कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रेरणा मिलेगी तथा राजभाषा नीति के अनुपालन में गति आएगी।

22. केंद्र सरकार के सभी कार्यालय हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं का अपने संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में भी व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक अधिकारी/कर्मचारी इन योजनाओं का लाभ उठा सकें और सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में हो।

23. केंद्र सरकार के सभी कार्यालय अपने दायित्वों से संबंधित विषयों से संबंधित शब्द भंडार को समृद्ध करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

24. केंद्र सरकार के कार्यालय अपने कार्यालय में हिंदी में कार्य का माहौल तैयार करने के लिए हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन कर रहे हैं। इन पत्रिकाओं में कार्यालय की सामान्य गतिविधियों तथा उस कार्यालय के कामकाज से संबंधित मौलिक आलेख प्रकाशित किए जाएं। साथ ही राजभाषा नीति के प्रमुख प्रावधानों का भी उल्लेख अवश्य हो। केंद्र सरकार के कार्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन पत्रिकाओं के ई-वर्जन तैयार करें और इन्हें राजभाषा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्लेटफॉर्म "ई-पत्रिका पुस्तकालय" पर अपलोड करें ताकि गृह-पत्रिकाएं पाठकों को सहज तरीके से प्राप्त हो सकें।

25. यह देखा गया है कि अनेक विभागों द्वारा वेबसाइट पर या तो सूचना हिंदी में नहीं दी जाती या कुछ मामलों में यह पूर्णतया हिंदी में उपलब्ध नहीं है। अतः वेबसाइट हिंदी में विकसित और नियमित रूप से अद्यतित करवाएं।

26. राजभाषा विभाग द्वारा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से हर वर्ष कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने के लिए 5 दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाता है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिक से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित करें। प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होने के बाद प्रशिक्षु कंप्यूटर पर हिंदी में काम कर सकेंगे। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की वेबसाइट www.chti.rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है।

27. राजभाषा विभाग द्वारा मौलिक रूप से हिंदी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने एवं राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "राजभाषा गौरव पुरस्कार" दिए जाते हैं। राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 से संशोधित "राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना" लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अब भारत के नागरिकों को निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे:-

(क) हिंदी में ज्ञान-विज्ञान संबंधी मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।

(ख) न्यायालयिक विज्ञान, पुलिस, अपराधशास्त्र अनुसंधान और पुलिस प्रशासन पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।

(ग) संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर आदि पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।

(घ) विधि के क्षेत्र में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।

राजभाषा के प्रयोग में बेहतर प्रगति दर्ज करने वाले मंत्रालय/विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बोर्ड/स्वायत्त निकाय/ट्रस्ट आदि, राष्ट्रीयकृत बैंक तथा हिंदी गृह पत्रिकाओं के लिए "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार" राजभाषा विभाग द्वारा दिए जाते हैं। इन दोनों पुरस्कार योजनाओं की जानकारी राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है।

28. राजभाषा विभाग ने अपनी वेबसाइट पर विभिन्न संस्थाओं के लिंक उपलब्ध कराए हैं जिनके माध्यम से इन संस्थाओं की शब्दावली देखी जा सकती है। इस संबंध में यदि कार्यालयों द्वारा कोई अपनी शब्दावली तैयार की गई है तो वे उसे राजभाषा विभाग से साझा करें ताकि अन्य कार्यालय भी लाभान्वित हो सकें।

29. राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर "ई- सरल हिंदी वाक्यकोश" शीर्षक के अंतर्गत सामान्यतः अंग्रेजी में प्रयोग होने वाले वाक्यों के हिंदी अनुवाद दिए गए हैं जिनके प्रयोग से अधिकारी फाइलों पर सामान्य टिप्पणियां आसानी से हिंदी में लिख सकते हैं।

30. अंतरराष्ट्रीय संधियों और करारों को अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराया जाए। विदेशों में निष्पादित संधियों और करारों के प्रामाणिक अनुवाद तैयार कराकर रिकॉर्ड के लिए फाइल में रखे जाएं।

31. हिंदीतर राज्यों में बोर्ड, साइन बोर्ड, नामपट्ट तथा दिशा संकेतकों के लिए क्षेत्रीय भाषा, हिंदी तथा अंग्रेजी, इसी क्रम में, प्रयोग की जानी चाहिए।

32. प्रशिक्षण और कार्यशालाओं सहित राजभाषा हिंदी संबंधी कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय में बैठने के लिए अच्छा व समुचित स्थान एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं ताकि वे अपने दायित्वों का निर्वाह ठीक तरह से कर सकें।

33. हमें अपने कार्य-व्यवहार में आम जीवन में प्रचलित शब्दों के प्रयोग पर बल देना चाहिए ताकि सामान्य नागरिक सरकारी नीतियों/ कार्यक्रमों के बारे में सरल हिंदी में जानकारी प्राप्त कर सकें।

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2024-25 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं. कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1. हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 100% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4.ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 90% के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 55% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति
2. हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3. हिंदी में टिप्पण	75%	50%	30%
4. हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	60%	30%
5. हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
6. हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
7. हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8. द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
9. जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुलअनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर भी शामिल है, की खरीद	100%	100%	100%

11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किए जाएं।	100%	100%	100%
13.	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें (क) हिंदी सलाहकार समिति (ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 2 बैठकें वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक) वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	100%	100%
16.	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हों।	40%	30%	20%
			(न्यूनतम अनुभाग)	
			सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, "क" क्षेत्र में कुल कार्य का 40%, "ख" क्षेत्र में 25% और "ग" क्षेत्र में 15% कार्य हिंदी में किया जाए।	

लेखा एवं हकदारी कार्यालय के निम्नांकित साथियों को उनके समक्ष दर्शाये गए दिनांक से सेवानिवृत्त होने पर चिनार ध्वनि परिवार की ओर से उनके स्वस्थ जीवन एवं दीर्घायु होने की शुभकामनाएं।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री/श्री/सुश्री)	पदनाम	सेवानिवृत्ति तिथि
1	मोहन किशन खान	सहायक लेखा अधिकारी	30/04/2023
2	विनोद कुमार मोजा	पर्यवेक्षक	30/04/2023
3	जावेद अहमद भट	सहायक पर्यवेक्षक	30/04/2023
4	गुलाम मोहिउद्दीन मट्टू	सहायक पर्यवेक्षक	30/04/2023
5	रबिया तबस्सुम	सहायक पर्यवेक्षक	30/04/2023
6	गुलाम मोहिउद्दीन भट	वरिष्ठ लेखाकार	30/04/2023
7	रजिया मोहम्मद	वरिष्ठ निजी सचिव	30/04/2023
8	अशोक कुमार भान	लेखाकार	30/04/2023
9	नजीर अहमद खान	एमटीएस	30/04/2023
10	जरनैल सिंह	एमटीएस	30/04/2023
11	रिफ्त आरा मुफ्ती	सहायक पर्यवेक्षक	31/05/2023
12	नसीर राशिद कदरी	सहायक पर्यवेक्षक	31/05/2023
13	सुनीता मोजा	पर्यवेक्षक	30/06/2023
14	कांता कुमारी	एमटीएस	30/06/2023
15	भारती रैना	पर्यवेक्षक	31/07/2023
16	गुलाम मोहम्मद वानी	वरिष्ठ लेखाकार	31/08/2023
17	पिंटू जी रैना	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	30/09/2023
18	जानी जी पंडिता	सहायक पर्यवेक्षक	30/09/2023
19	बिलकिस राहत	वरिष्ठ लेखाकार	31/08/2023
20	शिव कुमार खजूरिया	सहायक पर्यवेक्षक	31/10/2023
21	चमन लाल	एमटीएस	31/10/2023
22	वीना शर्मा	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	31/01/2024
23	विजय कुमार कौल	पर्यवेक्षक	31/01/2024
24	हंस राज	सहायक पर्यवेक्षक	31/01/2024
25	मोहम्मद अमीन मीर	कैंटीन अटेंडेंट	31/01/2024
26	संजय कुमार	पर्यवेक्षक	31/01/2024
27	सुनीता धर-II	सहायक पर्यवेक्षक	29/02/2024
28	बाबू राम	एमटीएस	29/02/2024
29	इंदर जी भट	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	31/03/2024
30	रानी देवी	पर्यवेक्षक	31/03/2024
31	दिलीप कुमार काचरू	सहायक पर्यवेक्षक	31/03/2024
32	बेबी कौसर	वरिष्ठ लेखाकार	31/03/2024
33	आबिदा खान	वरिष्ठ लेखाकार	31/03/2024
34	वजाहत हुसैन कुरैशी	वरिष्ठ लेखाकार	31/03/2024
35	रविंदर कुमार रैना	वरिष्ठ लेखाकार	31/03/2024
36	रियाज अहमद लोन	स्टाफ कार ड्राईवर	31/03/2024

लेखापरीक्षा कार्यालय के निम्नांकित साथियों को उनके समक्ष दर्शाये गए दिनांक से सेवानिवृत्त होने पर चिनार ध्वनि परिवार की ओर से उनके स्वस्थ जीवन एवं दीर्घायु होने की शुभकामनाएं।

क्र.सं.	नाम (सर्व श्री/सुश्री)	पदनाम	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	मोहम्मद अमीन अहंगर	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	30/04/2023
2.	मोहम्मद अमीन भट	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	31/07/2023
3.	इनायत उल्लाह वानी	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	31/01/2024
4.	मोहम्मद जाबर मीर	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	31/01/2024

कश्मीरी पर्यटन स्थलों की मनोरम झलकियां





सौजन्य- इंटरनेट

लेखापरीक्षा दिवस-2023





कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर
का चित्र